लघु वित्त बैंकों के लिए दिशानिर्देशों का संग्रह -

वित्तीय समावेशन और विकास

भारतीय रिज़र्व बैंक

वित्तीय समावेशन और विकास विभाग

सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	प्रारंभिक	1
2.	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार	2
3.	माइक्रो (सूक्ष्म), लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण	18
4.	वित्तीय साक्षरता	28
5.	वित्तीय समावेशन	30
6.	कृषि क्षेत्र	34
7.	अग्रणी बैंक योजना	58
8.	सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं	59

अध्याय I: प्रारंभिक

लघु वित्त बैंक का उद्देश्य

लघु वित्त बैंकों की स्थापना का उद्देश्य निम्नलिखित द्वारा वित्तीय समावेशन को और आगे बढ़ाना है :-

क) मुख्यत: बैंकिंग सेवा से वंचित आबादी और अल्पसेवा प्राप्त तबकों के लिए बचत माध्यम का प्रावधान तथा,

ख) छोटी कारोबारी इकाइयों; लघु व सीमांत किसानों; सूक्ष्म (माइक्रो) और लघु उद्योगों; तथा असंगठित क्षेत्र की अन्य संस्थाओं को उच्च प्रौद्योगिकी एवं कम लागत के परिचालनों के माध्यम से ऋण की आपूर्ति कराना।

गतिविधियों का दायरा :

- लघु वित्त बैंक मुख्य रूप से छोटे कारोबारी इकाइयों, लघु व सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्योग तथा असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं सहित बैंकिंग सेवा से वंचित और अल्पसेवा प्राप्त तबकों से जमाराशि स्वीकार करने तथा ऋण देने का कार्य करेगा।
- लघु वित्त बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपनी कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंक-रहित ग्रामीण केंद्रों में खोलें।
- साथ ही इन बैंकों से अपेक्षित है कि ये अपने एएनबीसी का 75 प्रतिशत प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को प्रदान करें।

वित्तीय समावेशन और विकास पर लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए दिशानिर्देश

- लघु वित्त बैंकों के कारोबार और वित्तीय फोकस के भिन्न स्वरूप को ध्यान में रखते हुए तथा उनके द्वारा माइक्रो और लघु उद्यमों, कृषि को ऋण आपूर्ति करने तथा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, लघु वित्त बैंकों के लिए वित्तीय समावेशन और विकास से संबंधित क्षेत्रों पर दिशानिर्देशों का विशेष संग्रह तैयार किया गया है।
- इन अनुदेशों के प्रावधान ऐसे प्रत्येक लघु वित्त बैंक पर लागू होंगे जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत में परिचालन हेतु लाइसेंस दिया गया है।

अध्याय - II : प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार - लक्ष्य और वर्गीकरण

खंड - I प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत श्रेणियां

1. **प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत श्रेणियां निम्नानुसार है**:

   i. कृषि
   ii. माइक्रो (सूक्ष्म), लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)
   iii. निर्यात ऋण
   iv. शिक्षा
   v. आवास
   vi. सामाजिक बुनियादी संरचना
   vii. नवीकरणीय ऊर्जा
   viii. अन्य

उपर्युक्त श्रेणियों के अंतर्गत पात्र गतिविधियों के ब्योरे खंड III में निर्दिष्ट किए गए हैं।

खंड - II. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लिए लक्ष्य/ उप-लक्ष्य

लघु वित्त बैंकों को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार हेतु उनके समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के 75 प्रतिशत का लक्ष्य होगा। जहां समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के 40 प्रतिशत को नीचे दर्शाए गए अनुसार पीएसएल के अंतर्गत विभिन्न उप-क्षेत्रों में आबंटित किया जाना चाहिए, वहीं शेष 35 प्रतिशत को पीएसएल के अंतर्गत किसी एक या एक से अधिक उप-क्षेत्रों में, जहां बैंक को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हो, आबंटित किया जा सकता है।

श्रेणी	लक्ष्य
कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	एएनबीसी का 75 प्रतिशत
कृषि	एएनबीसी का 18 प्रतिशत
लघु और सीमांत किसान	कृषि हेतु 18 प्रतिशत के लक्ष्य के अंतर्गत लघु और सीमांत किसानों के लिए एएनबीसी के 8 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित है।
माइक्रो उद्यम	एएनबीसी का 7.5 प्रतिशत
कमज़ोर वर्गों को अग्रिम	एएनबीसी का 10 प्रतिशत

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य/उप-लक्ष्यों की प्राप्ति की गणना पूर्ववर्ती वर्ष की तदनुरूपी तारीख को कुल एएनबीसी के आधार पर की जाएगी।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार के प्रयोजन के लिए एएनबीसी से आशय है भारत में बकाया बैंक ऋण [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (2) के अंतर्गत फार्म 'ए' की मद सं.VI में यथा निर्धारित] में से घटाए गए रिज़र्व बैंक और अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं के पास पुन: भुनाए गए बिल अधिक परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत अनुमत गैर एसएलआर बांडों/डिबेंचरों और ऐसे अन्य श्रेणियों में किए गए निवेश जो प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार के भाग के रूप में माने जाने के पात्र हों (अर्थात प्रतिभूतिकृत आस्तियों में निवेश) को जोड़ा जाए। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार के लक्ष्य/उप-लक्ष्यों को प्राप्त न करने के बदले में आरआईडीएफ और नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी और मुद्रा लि. के पास रखी अन्य निधियों के अंतर्गत बकाया जमाराशियां एएनबीसी का भाग बनेंगी। रिजर्व बैंक के 31 जनवरी 2014 के परिपत्र डीबीओडी.सं.आरईटी.बीसी.93/12.01.001/2013-14 के साथ पठित 14 अगस्त 2013 के परिपत्र डीबीओडी सं.आरईटी.बीसी.36/12.01.001/2013-14 और 6 फरवरी 2014 को जारी डीबीओडी मेलबाक्स स्पष्टीकरण के अनुसार सीआरआर/ एसएलआर अपेक्षाओं से छूट प्राप्त वृद्धिशील एफसीएनआर (बी)/ एनआरई जमाराशियां जिनके आधार पर भारत में अग्रिम दिए गए हैं, को उनकी चुकौती किए जाने तक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार के लक्ष्यों की गणना के लिए एएनबीसी से छोड दिया जाएगा। रिज़र्व बैंक के 15 जुलाई 2014 के परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं.25/08.12.014/2014-15 के अनुसार बुनियादी संरचना और किफायती आवास के लिए दीर्घावधि बाण्ड जारी करने के कारण छूट के लिए पात्र राशि को भी प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार के लक्ष्यों की गणना के लिए एएनबीसी से छोड दिया जाएगा।

समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) की गणना :

भारत में बैंक ऋण (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत फार्म 'ए' की मद सं.VI में यथा निर्धारित)	I
रिज़र्व बैंक तथा अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं के पास पुनः भुनाए गए बिल	II
निवल बैंक ऋण (एनबीसी)*	III (I-II)
एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत गैर एसएलआर श्रेणी मे बांड/डिबेंचर + प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के माने जाने के पात्र अन्य निवेश + प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में कमी के कारण आरआईडीफ और नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी और मुद्रा लि. के पास रखी अन्य पात्र निधियों के अंतर्गत बकाया जमाराशियां + बकाया पीएसएलसी	IV
15 जुलाई 2014 के परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं.25/05.12.014/2014-15 के अनुसार	V

बुनियादी संरचना और किफायती आवास के लिए दीर्घावधि बाण्ड जारी करने के कारण छूट के लिए पात्र राशि	
ऐसी वृद्धिशील एफसीएनआर (बी)/एनआरई जमाराशियों के आधार पर भारत में प्रदत्त पात्र अग्रिम जो सीआरआर/ एसएलआर अपेक्षाओं से छूट के योग्य हैं	VI
एएनबीसी	**III+IV-V-VI**

* केवल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की गणना के लिए। बैंकों को चाहिए कि वे एनबीसी से प्रावधान, उपचित ब्याज, आदि जैसी किसी राशि को न घटाए/ न निवल करें।

बैंक, एएनबीसी की गणना हेतु मार्गदर्शन के लिए बैंकिंग विनियमन विभाग द्वारा लघु वित्त बैंकों के लिए जारी परिचालनात्मक दिशानिर्देश (भारिबैं/2016-17/81 बैंविवि.एनबीडी.सं.26/16.13.218/2016-17, दिनांक 6 अक्तूबर, 2016) का पैरा 6.5 (ii से vii) देखें।

यदि बैंक उपर्युक्त प्रकार से बैंक ऋण की रिपोर्टिंग में कारपोरेट/ प्रधान कार्यालय स्तर पर विवेकसम्मत बट्टे खाते डाली गई राशि को घटाते हैं तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र और अन्य सभी उप क्षेत्रों को बैंक ऋण जो इस प्रकार बट्टे खाते डाला गया हो, को भी प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र और उप-लक्ष्य की प्राप्ति में से श्रेणी-वार घटाया जाना चाहिए।

सभी प्रकार के ऋण, निवेश अथवा ऐसी अन्य मदें जिन्हें प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र लक्ष्य / उप-लक्ष्य के अंतर्गत प्राप्ति के लिए पात्र माना गया हो, समायोजित निवल बैंक ऋण का भी एक भाग होना चाहिए।

खंड - III. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत पात्र श्रेणियों का विवरण

1. कृषि

कृषि क्षेत्र को उधार (i) कृषि ऋण (जिसमें किसानों को अल्पावधि फसल ऋण और मध्यावधि/ दीर्घावधि ऋण शामिल होगा) (ii) कृषि बुनियादी संरचना और (iii) संबद्ध गतिविधियां के रूप में वर्गीकृत होगा। तीन उप श्रेणियों के अंतर्गत पात्र क्रियाकलापों की सूची नीचे दी गई है :

1.1 कृषि ऋण	क. कृषि तथा उससे संबद्ध कार्यकलापों जैसे डेरी उद्योग, मत्स्यपालन, पशुपालन, मुर्गीपालन, मधु-मक्खीपालन और रेशम उद्योग से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े अलग-अलग किसानों [(स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) या संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) अर्थात अलग-अलग किसानों के समूहों सहित, बशर्ते बैंक ऐसे ऋणों का अलग से

	ब्योरा रखते हों)] को ऋण। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं : (i) किसानों को फसल ऋण जिसमें पारंपरिक/ गैर-पारंपरिक बागान, फलोद्यान तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण शामिल होंगे। (ii) किसानों को कृषि और उससे संबद्ध कार्यकलापों के लिए मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण (अर्थात कृषि उपकरणों और मशीनरी की खरीद, खेत में सिंचाई तथा किए जाने वाले अन्य विकासात्मक कार्यकलाप एवं संबद्ध कार्यकलापों के लिए विकास ऋण) । (iii) किसानों को फसल काटने से पूर्व और फसल काटने के बाद के कार्यकलापों जैसे छिड़काव, निराई (वीडिंग), फसल कटाई, छंटाई, श्रेणीकरण (ग्रेडिंग), तथा अपने स्वयं के फार्म की उपज के परिवहन के लिए ऋण। (iv) किसानों को 12 माह से अनधिक अवधि के लिए कृषि उपज (गोदाम रसीदों सहित) को गिरवी/ दृष्टिबंधक रखकर ₹ 50 लाख तक के ऋण। (v) गैर संस्थागत उधारदाताओं के प्रति ऋणग्रस्त आपदाग्रस्त किसानों को ऋण। (vi) किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों को ऋण। (vii) कृषि प्रयोजन हेतु जमीन खरीदने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को ऋण। ख. कारपोरेट किसानों, किसानों के कृषक उत्पादक संगठन/ अलग-अलग किसानों की कंपनियों, साझेदारी फर्मों तथा कृषि और उससे संबद्ध कार्यकलापों जैसे डेरी उद्योग, मत्स्यपालन, पशुपालन, मुर्गीपालन, मधु-मक्खीपालन, रेशम उद्योग से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी सहकारी संस्थाओं को प्रति उधारकर्ता ₹ 2 करोड़ की कुल ऋण सीमा में दिए गए ऋण। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) किसानों को फसल ऋण जिसमें पारंपरिक/ गैर-पारंपरिक बागान, फलोद्यान तथा संबद्ध गतिविधियां शामिल होंगी। (ii) कृषि और उससे संबद्ध कार्यकलापों के लिए मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण (अर्थात कृषि उपकरणों और मशीनरी की खरीद, खेत में सिंचाई तथा किए जाने वाले अन्य विकासात्मक कार्यकलाप एवं संबद्ध कार्यकलापों के लिए विकास ऋण)। (iii) किसानों को फसल काटने से पूर्व और फसल काटने के बाद के कार्यकलापों जैसे छिड़काव, निराई (वीडिंग), फसल कटाई, छंटाई, श्रेणीकरण (ग्रेडिंग), तथा अपने स्वयं के फार्म की उपज के परिवहन के लिए ऋण।

	(iv) किसानों को 12 माह से अनधिक की अवधि के लिए कृषि उपज (गोदाम रसीदों सहित) को गिरवी/ दृष्टिबंधक रखकर ₹ 50 लाख तक के ऋण।
1.2. कृषि बुनियादी संरचना	i) भंडारण सुविधाओं (भंडारघर, बाज़ार प्रांगण, गोदाम और साइलो) जिनमें कृषि उत्पाद/ उत्पादनों के भंडारण के लिए बनाए गए कोल्ड स्टोरेज यूनिट / कोल्ड स्टोरेज चेन शामिल हैं, चाहे वे कहीं भी स्थित हों, के निर्माण के लिए ऋण। ii) भू-संरक्षण और जल विभाजन (वॉटरशेड) विकास। iii) ऊतक (टिश्यू) संवर्धन और कृषि जैव प्रौद्योगिकी (बायो-टैक्नोलॉजी), बीज़ उत्पादन, जैविक (बायो) कीटनाशकों का उत्पादन, जैविक उर्वरक, और कृमि कंपोस्टिंग। उपर्युक्त ऋणों के लिए बैंकिंग प्रणाली से प्रति उधारकर्ता ₹ 100 करोड़ की समग्र स्वीकृत सीमा लागू होगी।
1.3 संबद्ध कार्यकलाप	(i) सदस्यों के उत्पाद का निपटान करने के लिए किसानों की सहकारी समितियों को ₹ 5 करोड़ तक के ऋण। (ii) एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस केंद्रों की स्थापना के लिए ऋण। (iii) खाद्यान्न तथा एग्रो प्रसंस्करण के लिए बैंकिंग प्रणाली से प्रति उधारकर्ता ₹ 100 करोड़ की समग्र स्वीकृत सीमा तक के ऋण। (iv) व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा संगठनों द्वारा प्रबंधित ऐसे कस्टम सेवा यूनिटों को ऋण जो ट्रैक्टर, बुलडोज़र, कुआं खोदने के उपकरण, थ्रेशर, कंबाइन्स, आदि का बेड़ा रखते हैं और किसानों के लिए संविदा आधार पर कृषि कार्य करते हैं। (v) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में कमी के कारण नाबार्ड के पास रखी आरआईडीएफ और अन्य पात्र निधियों के अंतर्गत बकाया जमाराशियां।

8 प्रतिशत लक्ष्य की गणना के प्रयोजन हेतु लघु और सीमांत किसानों में निम्नलिखित शामिल होंगे :-

- एक हेक्टेयर तक के भूधारक किसान सीमांत किसान माने जाते हैं। एक हेक्टेयर से अधिक परंतु 2 हेक्टेयर तक के भूधारक किसान लघु किसान के रूप में माने जाते हैं।
- भूमिहीन कृषि श्रमिक, काश्तकार, मौखिक पट्टेदार तथा बंटाईदार जिनकी भू-धारिता का अंश लघु और सीमांत किसानों के लिए निर्धारित सीमाओं के भीतर है।
- स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) या संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) अर्थात कृषि तथा उससे संबद्ध कार्यकलापों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े अलग-अलग लघु और सीमांत किसानों के समूहों को ऋण, बशर्ते बैंक ऐसे ऋणों का अलग से ब्योरा रखते हों।
- अलग-अलग किसानों की कृषक उत्पादक कंपनियों तथा कृषि और उससे संबद्ध कार्यकलापों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी किसानों की सहकारी संस्थाओं को ऋण, जहां लघु और सीमांत किसानों की सदस्यता

संख्या की दृष्टि से 75 प्रतिशत से कम न हो और जिनकी भू-धारिता का शेयर कुल भू-धारिता के 75 प्रतिशत से कम न हो।

2. माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

2.1. सूक्ष्म (माइक्रो), लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा 9 सितम्बर 2006 को एस.ओ.1642(ई) द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसार विनिर्माण/ सेवा उद्यम के लिए संयंत्र और मशीनरी/ उपकरणों में निवेश की सीमाएं निम्नानुसार हैं :-

विनिर्माण क्षेत्र	
उद्यम	**संयंत्र और मशीनरी में निवेश**
माइक्रो उद्यम	पच्चीस लाख रुपए से अधिक न हो
लघु उद्यम	पच्चीस लाख रुपए से अधिक परंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक न हो
मध्यम उद्यम	पांच करोड़ रुपए से अधिक परंतु दस करोड़ रुपए से अधिक न हो
सेवा क्षेत्र	
उद्यम	**उपकरणों में निवेश**
माइक्रो उद्यम	दस लाख रुपए से अधिक न हो
लघु उद्यम	दस लाख रुपए से अधिक परंतु दो करोड़ रुपए से अधिक न हो
मध्यम उद्यम	दो करोड़ रुपए से अधिक परंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक न हो

विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों के माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों को दिए जानेवाले बैंक ऋण प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निम्नानुसार वर्गीकृत किए जाने के पात्र होंगे:-

2.2. विनिर्माण उद्यम

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट और सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रकार से किसी उद्योग के लिए विनिर्माण या वस्तुओं के उत्पादन में लगी माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम संस्थाएं। विनिर्माण उद्यमों को संयंत्र और मशीनरी में निवेश के अनुसार परिभाषित किया गया है।

2.3. सेवा उद्यम

एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत उपकरणों में निवेश के अनुसार परिभाषित और सेवाएं उपलब्ध कराने या प्रदान करने में लगे माइक्रो और लघु उद्यमों को प्रति यूनिट ₹ 5 करोड़ और मध्यम उद्यमों को ₹ 10 करोड़ तक का बैंक ऋण।

2.4. फैक्टरिंग लेनदेन

बैंकों, जिनसे फैक्टरिंग कारोबार विभागीय रूप से होता है, द्वारा 'दायित्व सहित' आधार पर किए जाने वाले फैक्टरिंग लेनदेन, जहां फैक्टरिंग लेनदेन में 'समनुदेशक' (असाईनर) संयंत्र और मशीनरी/ उपकरण में निवेश के लिए तदनुरूपी सीमाओं तथा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के वर्गीकरण के लिए लागू अन्य दिशानिर्देशों के अधीन माइक्रो, लघु अथवा मध्यम उद्यम हो, बैंकों द्वारा रिपोर्टिंग तारीख को ऐसे बकाया फैक्टरिंग पोर्टफोलियो को एमएसएमई श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है।

बैंकिंग विनियमन विभाग द्वारा 'बैंकों द्वारा फैक्टरिंग सेवाओं का प्रावधान - समीक्षा' पर जारी दिनांक 30 जुलाई 2015 के परिपत्र बैंविवि.सं.एफएसडी.बीसी.32/24.01.007/2015-2016 के पैरा 9 के अनुसार उधारकर्ता का बैंक अन्य बातों के साथ-साथ दोहरे वित्तपोषण/ गणना से बचने के लिए, उधारकर्ता से आवधिक आधार पर "फैक्टर" प्राप्य राशियों के संबंध में प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा। साथ ही, "फैक्टर" को चाहिए कि वह दोहरे वित्तपोषण से बचने का दायित्व लेते हुए संबंधित बैंकों को उधारकर्ता को स्वीकृत सीमाओं तथा "फैक्टर ऋण" के ब्योरों के बारे में अवश्य सूचित करें।

ट्रेड रिसिवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) मंच के माध्यम से किए जाने वाले फैक्टरिंग लेनदेन भी प्राथमिकता प्राप्त -क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे।

2.5. खादी और ग्राम उद्योग क्षेत्र (केवीआई)

खादी और ग्राम उद्योग (केवीआई) क्षेत्र की इकाइयों को दिए गए सभी ऋण प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत माइक्रो उद्योगों हेतु नियत 7.5 प्रतिशत के उप-लक्ष्य के अधीन वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे।

2.6. एमएसएमई को अन्य वित्त

(i) काश्तकारों, ग्राम और कुटीर उद्योगों को निविष्टियों की आपूर्ति और उनके उत्पादन के विपणन के विकेंद्रीकृत सेक्टर को सहायता प्रदान करने में निहित संस्थाओं को ऋण।
(ii) विकेंद्रित सेक्टर अर्थात काश्तकार, ग्राम और कुटीर उद्योग के उत्पादकों की सहकारी समितियों को ऋण।

(iii) सामान्य क्रेडिट कार्ड (वर्तमान में प्रचलित और व्यक्तियों की कृषि से इतर उद्यमीय क्रेडिट आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले काश्तकार क्रेडिट कार्ड, लघु उद्यमी कार्ड, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड, तथा बुनकर कार्ड आदि सहित) के अंतर्गत बकाया ऋण।

(iv) बैंकों द्वारा 8 अप्रैल 2015 के बाद प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) खातों के अंतर्गत दिए गए ₹ 5,000/- तक के ओवरड्राफ्ट, बशर्ते उधारकर्ता की पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में ₹100,000/- और गैर ग्रामीण क्षेत्रों में ₹1,60,000/- से अधिक न हो| माइक्रो उद्यम को उधार के लक्ष्य की उपलब्धि के लिए ये ओवरड्राफ्ट पात्र होंगे।

(v) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में कमी के कारण सिडबी और मुद्रा लि. के पास बकाया जमाराशियां।

2.7. यह सुनिश्चित करने के लिए कि एमएसएमई केवल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की स्थिति के लिए पात्र बने रहने हेतु लघु और मध्यम उद्यम इकाई नहीं रहती है, एमएसएमई यूनिट को संबंधित एमएसएमई श्रेणी से अधिक विकसित होने के बाद तीन वर्षों तक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार का लाभ मिलना जारी रहेगा।

3. निर्यात ऋण

परिचालन के प्रथम वित्त वर्ष के दौरान प्रति उधारकर्ता ₹25 करोड़ तक की सीमा के अधीन ₹100 करोड़ तक के टर्नओवर वाले यूनिट को दिया गया निर्यात ऋण प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत होगा। तथापि, बाद के वित्तीय वर्षों के लिए, जो कि पूर्ववर्ती वर्ष की तदनुरूपी तारीख की स्थिति के एएनबीसी के 2 प्रतिशत से अधिक न हो, केवल वृद्धिशील निर्यात ऋण को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के रूप में माना जाएगा।

निर्यात ऋण में हमारे बैंकिंग विनियमन विभाग द्वारा रुपया/ विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण और निर्यातकों को ग्राहक सेवा पर जारी मास्टर परिपत्र में परिभाषित किए गए अनुसार पोतलदान-पूर्व और पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण (तुलन पत्र से इतर मदों को छोड़कर) शामिल है।

4. शिक्षण

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित शिक्षा के प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों को ₹10 लाख तक का ऋण चाहे स्वीकृत राशि कुछ भी हो, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लिए पात्र माना जाएगा।

5. आवास

i. प्रति परिवार निवासी यूनिट की खरीद/ निर्माण करने के लिए व्यक्तियों को महानगरीय केंद्रों (दस लाख और उससे अधिक की आबादी वाले) में ₹28 लाख तक के ऋण और अन्य केंद्रों में ₹20 लाख

तक के ऋण बशर्ते निवासी यूनिट की समग्र सीमा महानगरीय केंद्रों और अन्य केंद्रों में क्रमश: ₹35 लाख और ₹25 लाख से अधिक न हो। बैंक के अपने कर्मचारी को स्वीकृत ऋण को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। चूंकि ऐसे आवास ऋण जो दीर्घावधि बांड से समर्थित होते हैं को एएनबीसी से छूट प्राप्त हैं, बैंकों को या तो व्यक्तियों को महानगरीय केंद्रों में ₹28 लाख तक के आवास ऋण और अन्य केंद्रों में ₹20 लाख तक के आवास ऋण प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करने चाहिए अथवा एएनबीसी से छूट का लाभ लेना चाहिए परंतु दोनों की अनुमति नहीं होगी।

ii. परिवारों के क्षतिग्रस्त निवासी यूनिटों की मरम्मत के लिए महानगरीय केंद्रों में ₹5 लाख तक और अन्य केंद्रों में ₹2 लाख तक का ऋण।

iii. किसी सरकारी एजेंसी को निवासी यूनिटों के निर्माण अथवा गंदी बस्ती हटाने और गंदी बस्ती में रहनेवालों के पुनर्वास के लिए अधिकतम सीमा ₹10 लाख प्रति निवास यूनिट की शर्त पर बैंक ऋण।

iv. केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय समूह के लोगों के लिए मकान बनवाने के प्रयोजन संबंधी आवास परियोजनाओं हेतु जिनकी कुल लागत प्रति निवासी यूनिट ₹10 लाख से अधिक नहीं है, बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय समूह के लोगों की पहचान के प्रयोजन के लिए वार्षिक ₹2 लाख की पारिवारिक आय सीमा निर्धारित है, चाहे स्थान कुछ भी क्यों न हो।

v. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में कमी के कारण एनएचबी के पास रखी बकाया जमाराशियां।

6. सामाजिक बुनियादी संरचना

टियर II से टियर VI के केंद्रों में सामाजिक बुनियादी संरचना के निर्माण हेतु यथा स्कूल, स्वास्थ्य रक्षा सुविधा, पेयजल सुविधा और स्वच्छता सुविधाओं एवं घरेलू स्वच्छता-गृहों के निर्माण/ नवीकरण और घरेलू स्तर पर जल आपूर्ति में सुधार सहित, के लिए प्रति उधारकर्ता ₹5 करोड़ की सीमा तक के बैंक ऋण।

7. नवीकरणीय ऊर्जा

सौर आधारित बिजली जनित्र, बायो मास आधारित बिजली जनित्र, पवन मिल, माइक्रो-हैडल संयंत्र और रास्ते पर बत्ती लगाने की प्रणाली और सुदूर गांव में विद्युतिकरण जैसे गैर पारंपरिक ऊर्जा आधारित सार्वजनिक उपयोग के प्रयोजन के लिए उधारकर्ताओं को ₹15 करोड़ की सीमा तक के बैंक ऋण। अलग-अलग परिवारों को प्रति उधारकर्ता के लिए ₹10 लाख की ऋण सीमा होगी।

8. अन्य

8.1. बैंकों द्वारा व्यक्तियों और उनके एसएचजी/ जेएलजी को सीधे दिए जानेवाले प्रति उधारकर्ता ₹50,000/- से अनधिक के ऋण, बशर्ते उधारकर्ता की घरेलू वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में ₹100,000/- से अनधिक हो और गैर-ग्रामीण क्षेत्रों में यह ₹1,60,000/- से अधिक न हो।

8.2. आपदाग्रस्त व्यक्तियों [पहले ही III (1.1) ए (v) के अंतर्गत शामिल किसानों को छोड़कर] को उनके गैर संस्थागत ऋणदाताओं के कर्ज की पूर्व अदायगी के लिए प्रति उधारकर्ता ₹100,000/- से अनधिक के ऋण।

8.3. अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य प्रायोजित संगठनों को इन संगठनों के लाभार्थियों को निविष्टियों की खरीद और आपूर्ति और/या उनके उत्पादनों के विपणन के विशिष्ट प्रयोजन के लिए स्वीकृत ऋण।

खंड - IV. कमज़ोर वर्ग

9. निम्नलिखित उधारकर्ताओं को दिए जाने वाले प्राथमिताकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण कमज़ोर वर्गो की श्रेणी के अंतर्गत शामिल है :

सं.	श्रेणी
(i)	छोटे और सीमान्त किसान
(ii)	काश्तकार, ऐसे ग्रामीण और कुटीर उद्योग जिनकी व्यक्तिगत ऋण सीमा ₹ 1 लाख से अधिक न हो
(iii)	सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) और स्वच्छकारों की पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार योजना (एसआरएमएस) के अंतर्गत लाभार्थी
(iv)	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां
(v)	विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) योजना के लाभार्थी
(vi)	स्व-सहायता समूह
(vii)	गैर संस्थागत उधारदाताओं के प्रति ऋणग्रस्त आपदाग्रस्त किसान
(viii)	गैर संस्थागत उधारदाताओं के प्रति ऋणग्रस्त किसानों को छोड़कर आपदाग्रस्त व्यक्तियों को अपने ऋण की पूर्व अदायगी हेतु ₹ 1 लाख से अनधिक के ऋण।
(ix)	अलग-अलग महिला लाभार्थियों को प्रति उधारकर्ता ₹ 1 लाख तक के ऋण
(x)	दिव्यांग व्यक्ति
(xi)	प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) खातों के अंतर्गत ₹ 5,000/- तक के ओवरड्राफ्ट,

	बशर्ते उधारकर्ता की पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में ₹ 100,000/- और गैर ग्रामीण क्षेत्रों में ₹ 1,60,000/- से अधिक न हो
(xii)	भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय

ऐसे राज्य जहां अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय वास्तव में बहुसंख्यक है, मद (xii) में केवल अन्य अधिसूचित अल्पसंख्यकों का समावेश होगा। ये राज्य/ संघशासित क्षेत्र हैं जम्मू और कश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप।

खंड V. विविध

10. बैंकों द्वारा प्रतिभूतिकृत आस्तियों में निवेश

(i) बैंकों द्वारा प्रतिभूतिकृत आस्तियों में निवेश, जो 'अन्य' श्रेणी को छोड़कर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियों को ऋण का द्योतक हैं तथा बैंकिंग विनियमन विभाग द्वारा लघु वित्त बैंकों के लिए जारी परिचालनात्मक दिशानिर्देश (भा.रि.बैं./2016-17/81 बैंविवि.एनबीडी.सं.26/16.13.218/2016-17, दिनांक 6 अक्तूबर 2016) के पैरा 1.9 में विनिर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों के अधीन अंतर्निहित आस्तियों के आधार पर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की संबंधित श्रेणियों में वर्गीकरण के लिए पात्र हैं, बशर्ते :

- बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रतिभूतिकृत आस्तियां मूलत: बनायी गई हैं और वे प्रतिभूतिकरण के पहले प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत जाने की पात्र हैं और प्रतिभूतिकरण के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों को पूरा करती हैं।
- मूल संस्था द्वारा अंतिम उधारकर्ता से लिया जानेवाला सर्वसमावेशक ब्याज निवेशक लघु वित्त बैंक की एमसीएलआर और वार्षिक 8 प्रतिशत से अधिक न हो।
- एमएफआई द्वारा मूलत: प्रतिभूतिकृत आस्तियों में ऐसे निवेश जो मास्टर निदेश-प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार पर दिनांक 7 जुलाई 2016 के आरबीआई/विसविवि/2016-17/33, विसविवि.कैंका.प्लान.1/04.09.01/2016-17 के पैरा 19 में दिए गए दिशानिर्देशों की पूर्तता करते हैं, ब्याज दर की इस उच्चतम सीमा से छूट प्राप्त हैं क्योंकि मार्जिन और ब्याज दर पर अलग उच्चतम सीमाएं हैं।

(ii) एनबीएफसी द्वारा मूलत: निर्मित प्रतिभूतिकृत आस्तियों में बैंकों द्वारा किए गए निवेश जिनमें निहित आस्तियां स्वर्ण आभूषण की जमानत पर होती हैं, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र स्थिति के लिए पात्र नहीं हैं।

11. डायरेक्ट एसाइनमेंट/ आउटराइट परचेस के माध्यम से आस्तियों का अंतरण

(i) बैंकों द्वारा एसाइनमेंट/ आस्तियों के समूह की आउटराइट परचेस जो 'अन्य' श्रेणी को छोड़कर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियों को ऋण का द्योतक हैं तथा बैंकिंग विनियमन विभाग द्वारा लघु वित्त बैंकों के लिए जारी परिचालनात्मक दिशानिर्देश (भा.रि.बैं./2016-17/81 बैंविवि.एनबीडी.सं.26/16.13.218/2016-17, दिनांक 6 अक्तूबर 2016) के पैरा 1.9 में विनिर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों के अधीन अंतर्निहित आस्तियों के आधार पर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की संबंधित श्रेणियों में वर्गीकरण के लिए पात्र हैं, बशर्ते :

- आस्तियां बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा मूलत: निर्मित हों और वे खरीद से पहले प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किए जाने की पात्र हैं और आउटराइट परचेस/ एसाइनमेंट के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों को पूरा करती हैं।
- इस प्रकार खरीदी जाने वाली पात्र ऋण आस्तियों का निपटान चुकौती को छोड़कर किसी अन्य रूप से नहीं किया जाना चाहिए।
- मूल संस्था द्वारा अंतिम उधारकर्ता से लिया जानेवाला सर्वसमावेशक ब्याज निवेशक लघु वित्त बैंक की एमसीएलआर और वार्षिक 8 प्रतिशत से अधिक न हो।
- एमएफआई से पात्र प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋणों के ऐसे एसाइनमेंट/ आउटराइट खरीद जो मास्टर निदेश-प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार पर दिनांक 7 जुलाई 2016 के आरबीआई/विसविवि/2016-17/33, विसविवि.केंका.प्लान.1/04.09.01/2016-17 के पैरा 19 में दिए गए दिशानिर्देशों की पूर्तता करते हैं, ब्याज दर की इस उच्चतम सीमा से छूट प्राप्त हैं क्योंकि मार्जिन और ब्याज दर पर अलग उच्चतम सीमाएं हैं।

(ii) बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत करने के लिए ऋण आस्तियों की आउटराइट खरीद करने पर बैंक को अंतिम प्राथमिकता-प्राप्त उधारकर्ता को वास्तविक रूप में वितरित सांकेतिक राशि की सूचना देनी चाहिए और न कि विक्रेता को अदा की गई प्रीमियम राशि की।

(iii) बैंकों द्वारा एनबीएफसी के साथ किए जाने वाले क्रय/ एसाइनमेंट/ निवेश लेनदेन जिसमें निहित आस्तियां स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर लिए गए ऋण हैं, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र स्थिति के लिए पात्र नहीं हैं।

12. अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र

बैंकों द्वारा जोखिम शेयरिंग आधार पर खरीदे गए अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (आईबीपीसी), प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की संबंधित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र हैं बशर्ते, अंतर्निहित आस्तियां प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की संबंधित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने की पात्र हों और बैंक आईबीपीसी पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों तथा ऋण जोखिम अंतरण और पोर्टफोलियो खरीद/ बिक्री **पर** बैंकिंग विनियमन विभाग द्वारा लघु वित्त बैंकों के लिए जारी परिचालनात्मक दिशानिर्देश (भा.रि.बैं./2016-17/81 बैंविवि.एनबीडी.सं.26/16.13.218/2016-17, दिनांक 6 अक्तूबर 2016) के पैरा 1.9 में विनिर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों की पूर्तता करते हों।

आईबीपीसी लेनदेनों की निहित आस्तियां पैरा 3 के अनुसार, 'निर्यात ऋण' के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र होने के संबंध में, बैंकों द्वारा, जोखिम शेयरिंग आधार पर, खरीदे गए आईबीपीसी को खरीदने वाले बैंक की दृष्टि से प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र वर्गीकरण के लिए वर्गीकृत किया जाए। तथापि ऐसी स्थिति में इस संबंध में दिशानिर्देशों के अनुसार जारी करने वाले और खरीदने वाले बैंक द्वारा आवश्यक समुचित सावधानी लिए जाने के अलावा जारी करने वाला बैंक प्रमाणित करेगा कि निहित आस्ति 'निर्यात ऋण' है।

13. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र

बैंकों द्वारा खरीदे गए बकाया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की संबंधित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र हैं बशर्ते, आस्तियां बैंकों द्वारा मूलत: बनाई गई हों, और प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किए जाने की पात्र हों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 7 अप्रैल 2016 के परिपत्र विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.23/04.09.01/2015-16 द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र पर जारी दिशानिर्देशों तथा ऋण जोखिम अंतरण और पोर्टफोलियो खरीद/ बिक्री **पर** बैंकिंग विनियमन विभाग द्वारा लघु वित्त बैंकों के लिए जारी परिचालनात्मक दिशानिर्देश (भा.रि.बैं./2016-17/81 बैंविवि.एनबीडी.सं.26/16.13.218/ 2016-17, दिनांक 6 अक्तूबर 2016) के पैरा 1.9 में विनिर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों की पूर्तता करती हों।

14. निगरानी तथा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य प्राप्त न करना:

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को निरंतर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों द्वारा किए जाने वाले अनुपालन पर 'तिमाही' आधार पर निगरानी रखी जाएगी। रिपोर्टिंग फार्मेट के अनुसार बैंकों को **तिमाही** और **वार्षिक** अंतराल के आधार पर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों पर आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे।

आरआईडीएफ प्रणाली में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र/ उप क्षेत्र को उधार में कोई कमी वाले बैंकों को नाबार्ड के पास स्थापित ग्रामीण बुनियादी विकास निधि (आरआईडीएफ) और नाबार्ड/ एनएचबी/ सिडबी/ मुद्रा लि. के पास स्थापित अन्य निधियों में अंशदान करने के लिए राशियां आबंटित की जाती हैं, वर्ष 2019-20 से लागू होगी अर्थात जिन बैंकों के पीएसएल लक्ष्यों/ उप-लक्ष्यों में 31 मार्च 2019 की स्थिति में कमी होगी उन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार अगले वर्ष आरआईडीएफ और अन्य निधियों में अंशदान करना होगा।

प्राप्तियों का आकलन प्रत्येक तिमाही के अंत में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र लक्ष्य/ उप-लक्ष्य प्राप्ति के औसत के आधार पर वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाएगा। (अनुबंध - क में उदाहरण दिया गया है)

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी निरीक्षण के दौरान अभिज्ञात गलत वर्गीकरण को लक्ष्यों/ उप-लक्ष्यों की वास्तविक प्राप्ति की गणना के लिए उस वर्ष की प्राप्ति से उस राशि तक समायोजित/ घटाया जाएगा जहां तक विवर्गीकरण/ गलत वर्गीकरण हुआ हो।

साथ ही, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य, उप-लक्ष्य पूरे न करने को विभिन्न प्रयोजनों के लिए विनियामक क्लियरेंस/ अनुमोदन देते समय विचार में लिया जाएगा।

खंड - VII. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण हेतु सामान्य दिशानिर्देश

लघु वित्त बैंकों से अपेक्षित है कि वे प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अग्रिमों की सभी श्रेणियों के संबंध में निम्नलिखित सामान्य दिशानिर्देशों का पालन करें।

i. ब्याज की दर

बैंक ऋणों पर ब्याज दर हमारे बैंकिंग विनियमन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों के अनुसार रहेगी।

ii. सेवा प्रभार

₹25,000/- तक के प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋणों पर ऋण संबंधी और तदर्थ सेवा प्रभार/ निरीक्षण प्रभार नहीं लगाया जाना चाहिए। एसएचजी / जेएलजी के पात्र प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋणों के मामले में, यह सीमा समग्र

समूह की अपेक्षा हर सदस्य पर लागू होगी।

iii. प्राप्ति, स्वीकृति/ नामंजूर/ वितरण रजिस्टर

बैंक द्वारा एक रजिस्टर/ इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड बनाया जाए जिसमें प्राप्ति की तारीख, मंजूरी/ नामंजूरी/ वितरण आदि का कारणों सहित उल्लेख किया जाए। सभी निरीक्षणकर्ता एजेन्सियों को उक्त रजिस्टर/ इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड उपलब्ध करवाया जाए।

iv. ऋण आवेदनों की पावती जारी करना

बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋणों के अंतर्गत प्राप्त ऋण आवेदनों की पावती दी जाए। बैंक बोर्ड एक ऐसी समय सीमा निर्धारित करें जिसके पहले बैंक आवेदकों को अपना निर्णय लिखित रूप में सूचित करेंगे।

v. परिभाषाएं / स्पष्टीकरण :

क) आकस्मिक देयताएं/ तुलन-पत्र से इतर मदें प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र लक्ष्य की प्राप्ति का भाग नहीं होती हैं।

ख) "सर्व समावेशक ब्याज" शब्द में ब्याज (प्रभावी वार्षिक ब्याज), प्रोसेसिंग शुल्क और सेवा प्रभार शामिल हैं।

ग) बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत प्रदान किए जानेवाले ऋण अनुमोदित प्रयोजनों के लिए होते हैं और उसके अंतिम उपयोग पर निरंतर निगरानी रखी जाती है। बैंकों को इस संबंध में उचित आंतरिक नियंत्रण और प्रणालियां स्थापित करनी चाहिए।

vi. संशोधन

ये दिशानिर्देश रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले अनुदेशों की शर्तों के अधीन हैं।

अनुबंध – क

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य की उपलब्धि - कमी/ अधिकता की गणना

उदाहरण :

वित्तीय वर्ष के अंत में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य की उपलब्धि – कमी/ अधिकता की गणना के लिए अपनाई जानेवाली पद्धति का उदाहरण टेबल संख्या 1 और 2 में प्रस्तुत है।

(टेबल 1)

राशि हजार ₹ में

समाप्त तिमाही	पीएसएल लक्ष्य	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र - बकाया राशि	कमी/अधिकता
जून	3296156032	3169380800	-126775232
सितंबर	3088265369	3119459969	31194600
दिसंबर	3176948703	3192913269	15964566
मार्च	3245609908	3213475156	-32134752
कुल	12806980012	12695229194	-111750818
औसत	3201745003	3173807299	-27937704

(टेबल 2)

राशि हजार ₹ में

समाप्त तिमाही	पीएसएल लक्ष्य	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र बकाया राशि	कमी/अधिकता
जून	3296156032	3279675252	-16480780
सितंबर	3088265369	3123780421	35515052
दिसंबर	3176948703	3272257164	95308461
मार्च	3245609908	3213153809	-32456099
कुल	12806980012	12888866646	81886634
औसत	3201745003	3222216661	20471658

टेबल – 1 में दिए गए उदाहरण में वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक में समग्र कमी ₹ 27937704 हजार की है। टेबल – 2 में वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक में समग्र अधिकता ₹ 20471658 हजार की है।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के उप-लक्ष्यों की तिमाही और वार्षिक उपलब्धि की गणना के लिए इसी पद्धति का पालन किया जाएगा।

टिप्पणी : प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य/ उप-लक्ष्य की प्राप्ति की गणना पूर्ववर्ती वर्ष की तदनुरूपी तारीख के एएनबीसी के आधार पर की जाएगी।

अध्याय III: माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण

परिभाषा/ स्पष्टीकरण

इन निदेशों में, जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, दिए गए शब्दों (टर्मस) के अर्थ वही होंगे जो नीचे विनिर्दिष्ट हैं:

(क) एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 का अर्थ हैं 'माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006' जैसा कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 16 जून 2006 को अधिसूचित किया गया है तथा भारत सरकार द्वारा उसमें समय-समय पर किया गया संशोधन, यदि कोई हो।

(ख) 'माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम' का तात्पर्य एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में परिभाषित उद्यमों से है तथा भारत सरकार द्वारा उसमें समय-समय पर किया गया संशोधन, यदि कोई हो।

(ग) 'विनिर्माण' और सेवा 'उद्यम' का तात्पर्य ऐसे उद्यम से है जिसे एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में परिभाषित किया गया है या भारत सरकार, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत समय-समय पर अधिसूचित किए जाने वाले उद्यम से है।

(घ) 'प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र' का तात्पर्य प्राथमिकता - प्राप्त क्षेत्र को उधार - लक्ष्य और वर्गीकरण के अध्याय - II में परिभाषित क्षेत्र से है किया गया है।

(ङ) 'समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी)' का अर्थ प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार - लक्ष्य और वर्गीकरण के अध्याय - II में परिभाषित समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) से है।

खंड - I. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006

1.1 माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006

भारत सरकार ने माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम 2006 बनाया है जिसे दिनांक 16 जून 2006 की राजपत्र अधिसूचना के द्वारा अधिसूचित किया है। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 बनाए जाने से जो स्पष्ट परिवर्तन आया है वह है उक्त क्षेत्र में मध्यम उद्यमों को सम्मिलित करने के अलावा माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम की परिभाषा में सेवा क्षेत्र को शामिल करना। माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 ने विनिर्माण या उत्पादन तथा सेवाएं उपलब्ध या प्रदान करने में लगे माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम की परिभाषा को संशोधित किया है। रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को परिवर्तन के बारे में सूचित कर दिया है। इसके साथ ही, अधिनियम में दी गई परिभाषा को, रिज़र्व बैंक के दिनांक 4 अप्रैल 2007 के परिपत्र ग्राआक्रवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं.63/06.02.31/2006-07 के अनुसार बैंक ऋण के प्रयोजनों के लिए अपनाया गया है।

1.2 माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम की परिभाषा

(क) विनिर्माण उद्यम अर्थात, एमएसएमईडी अधिनियम, 2006, के अधीन परिभाषित, नीचे विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार वस्तुओं के विनिर्माण या उत्पादन के कार्य में लगे विनिर्माण उद्यम :

(i) माइक्रो उद्यम एक ऐसा उद्यम है जिसका संयंत्र और मशीनरी में निवेश ₹25 लाख से अधिक न हो;

(ii) लघु उद्यम एक ऐसा उद्यम है जिसका संयंत्र और मशीनरी में निवेश ₹25 लाख से अधिक हो परंतु ₹5 करोड़ से अधिक न हो; तथा

(iii) मध्यम उद्यम एक ऐसा उद्यम है जिसका संयंत्र और मशीनरी में निवेश ₹5 करोड़ से अधिक हो परंतु ₹10 करोड़ से अधिक न हो।

उपर्युक्त उद्यमों के मामले में, संयंत्र और मशीनरी में निवेश वह मूल लागत और ऐसी मद हैं जिसे लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 अक्तूबर 2006 की अपनी अधिसूचना सं. एसओ.1722 (ई) में विनिर्दिष्ट किया गया है (अनुबंध I)।

(ख) सेवा उद्यम अर्थात सेवाएं उपलब्ध कराने अथवा प्रदान करने में लगे उद्यम एवं जिनका उपकरण में निवेश (फर्नीचर, फिटिंग्स और प्रदान की जाने वाली सेवाओं से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध न होने वाली अन्य मदें या एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में यथा अधिसूचित मदों को छोड़कर मूल लागत) नीचे विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार है :

(i) माइक्रो उद्यम वह उद्यम है जिसका उपकरणों में निवेश ₹ 10 लाख से अधिक न हो;
(ii) लघु उद्यम वह उद्यम है जिसका उपकरणों में निवेश ₹ 10 लाख से अधिक हो परंतु ₹ 2 करोड़ से अधिक न हो; और
(iii) मध्यम उद्यम वह उद्यम है जिसका उपकरणों में निवेश ₹ 2 करोड़ से अधिक हो परंतु ₹ 5 करोड़ से अधिक न हो।

1.3 माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र संबंधी दिशानिर्देश

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार - लक्ष्य और वर्गीकरण पर अध्याय - II के अनुसार, विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों के माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए ऋण माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पर अध्याय - II के पैरा 2 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने के पात्र हैं।

चूँकि एमएसएमई अधिनियम, 2006 में उसी व्यक्ति/ कंपनी द्वारा स्थापित भिन्न-भिन्न उद्यमों के निवेशों को सूक्ष्म (माइक्रो), लघु और मध्यम उद्यमों के रूप में वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ एक साथ मिलाने (क्लब करने) का प्रावधान नहीं है, इसलिए औद्योगिक उपक्रमों के लघु उद्योग के रूप में वर्गीकरण के प्रयोजन हेतु एक ही स्वामित्व के दो या अधिक उद्यमों के निवेशों को एक साथ मिलाने के संबंध में 1 जनवरी 1993 की राजपत्र अधिसूचना सं. एस.ओ. 2 (ई) को 27 फरवरी 2009 की भारत सरकार की अधिसूचना सं. एस.ओ. 563 (ई) के द्वारा रद्द कर दिया गया है।

खंड - II. एसएफबी हेतु एमएसएमई के लिए लक्ष्य/ उप-लक्ष्य

2. लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) द्वारा माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को उधार हेतु लक्ष्य/ उप-लक्ष्य

2.1 समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के 75 प्रतिशत के समग्र प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य के अंतर्गत प्राप्ति की गणना में माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र अग्रिमों को लिया जाएगा।

2.2 लघु वित्त बैंकों से अपेक्षित है कि वे माइक्रो उद्यमों को उधार देने हेतु एएनबीसी के 7.5 प्रतिशत का उप-लक्ष्य प्राप्त करे।

2.3 एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत उपकरणों में निवेश के अनुसार परिभाषित और सेवाएं उपलब्ध कराने या प्रदान करने में लगे माइक्रो और लघु उद्यमों को प्रति उधारकर्ता/ यूनिट ₹ 5 करोड़ से अधिक और मध्यम उद्यमों को ₹ 10 करोड़ तक के बैंक ऋणों को उपर्युक्तानुसार समग्र प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र लक्ष्यों की गणना में हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

खंड - III. एमएसएमई क्षेत्र को उधार देने के लिए सामान्य दिशा-निर्देश

3.एमएसएमई क्षेत्र को उधार देने के लिए सामान्य दिशा-निर्देश/ अनुदेश

3.1 एमएसएमई उधारकर्ताओं को ऋण आवेदनपत्रों की प्राप्ति सूचना जारी करना

लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) को सूचित किया जाता है कि वे अपने एमएसएमई उधारकर्ताओं द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए सभी ऋण आवेदनपत्रों की प्राप्ति सूचना अनिवार्य रूप से दें तथा यह सुनिश्चित करें कि आवेदन फॉर्म एवं प्राप्ति सूचना रसीद पर रनिंग क्रम संख्या दर्ज की जाती है। साथ ही, एसएफबी को सूचित किया जाता है कि वे ऋण आवेदनपत्रों की केंद्रीकृत पंजीकरण प्रणाली, आवेदनपत्रों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की प्रणाली तथा ऋण आवेदनपत्रों की ऑनलाइन ई-ट्रैकिंग की प्रणाली विकसित करें।

3.2 संपार्श्विक

एमएसएमई को संपार्श्विक-रहित ऋण प्रदान करने से संबंधित दिशानिर्देश अभी जांच के अधीन है तथा इस संबंध में यथासमय अलग से सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

3.3 संमिश्र ऋण

लघु वित्त बैंकों द्वारा ₹ 1 करोड़ तक की संमिश्र ऋण सीमा स्वीकृत की जा सकती है ताकि एमएसई उद्यमी एक ही स्थान पर अपनी कार्यशील पूंजी और मीयादी ऋण अपेक्षा प्राप्त कर सके।

3.4 सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) योजना

लघु वित्त बैंक मार्गदर्शन हेतु समग्र प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र दिशानिर्देशों के भीतर सभी उत्पादक गतिविधियों और बैंकों द्वारा गैर कृषि उद्यमी गतिविधि के लिए व्यक्तियों को दिए गए समस्त क्रेडिट के आंकड़े प्राप्त करने के लिए उच्चतर ऋण संबद्धता हेतु सामान्य क्रेडिट कार्ड योजना पर जारी दिनांक 2 दिसंबर 2013 का परिपत्र सं. ग्राआऋवि .एमएसएमई एण्ड एनएफएस.बीसी.सं.61/06.02.31/2013-14 देखे।

3.5 ऋण सहलग्न पूंजीगत सब्सिडी योजना (सीएलएसएस)

भारत सरकार, सूक्ष्म (माइक्रो), लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन माइक्रो और लघु उद्यमों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए ऋण सहलग्न पूंजीगत सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) का प्रारम्भ किया था :

(i) योजना के अंतर्गत ऋण की अधिकतम सीमा ₹ 1 करोड़ रुपए है।

(ii) ऊपर क्रम संख्या (i) में बताई गई अधिकतम सीमा वाले माइक्रो और लघु उद्यमों की सभी इकाइयों के लिए सब्सिडी की दर 15 प्रतिशत है।

(iii) स्वीकार्य सब्सिडी की गणना संयंत्र और मशीनरी के खरीदी मूल्य के आधार पर की जाएगी न कि लाभार्थी इकाई को दिए गए मीयादी ऋण के आधार पर।

(iv) सिडबी और नाबार्ड योजना की कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियां बनी रहेंगी।

3.6 माइक्रो और लघु उद्यमों (एमएसई) को उनके 'जीवन चक्र' के दौरान समय पर और पर्याप्त ऋण सुविधा देने के लिए ऋण प्रवाह का सरलीकरण :

वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे माइक्रो और लघु उद्यमों को उनके 'जीवन चक्र' के दौरान समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए, बैंकों को उपर्युक्त विषय पर दिनांक 27 अगस्त 2015 के परिपत्र विसविवि.एमएसएमई एण्ड एनएफएस.बीसी.सं.60/06.02.31/2015-16 के द्वारा दिशानिर्देश जारी किए गए थे। लघु वित्त बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे एमएसई क्षेत्र को उधार की अपने नीतियों में उक्त परिपत्र में दिए गए प्रावधानों को समाहित करें ताकि अर्थक्षम एमएसई उधारकर्ताओं को, खासतौर पर अप्रत्याशित परिस्थितियों में निधि की आवश्यकता के दौरान, समय पर और पर्याप्त ऋण उपलब्ध होने में सुविधा हो सके।

3.7 एमएसएमई हेतु ऋण पुनर्संरचना तंत्र

(i) लघु वित्त बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे एसएमई ऋण पुनर्संरचना हेतु "मास्टर परिपत्र - अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड" पर दिनांक 01 जुलाई 2015 को जारी परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.2/21.04.048/2015-16 में उल्लेखित तथा समय समय पर अद्यतन किए जाने वाले सभी दिशा-निर्देशों/ अनुदेशों का पालन करें।

(ii) साथ ही, लघु वित्त बैंकों को दिनांक 4 मई 2009 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि एसएमई एण्ड एनएफएस बीसी.सं.102/06.04.01/2008-09 द्वारा सूचित किया जाता है कि वे निम्न कार्य करें :

क) निदेशक मंडल के अनुमोदन से ऋण सुविधाएं प्रदान करने की नियंत्रक ऋण नीति, संभाव्य रूप से अर्थक्षम रुग्ण इकाइयों/ उद्यमों के पुनरुज्जीवन के लिए पुनर्संरचना/ पुनर्वास नीति (अब इसे दिनांक 17 मार्च 2016 को 'सूक्ष्म (माइक्रो), लघु और मध्यम उद्यमों के पुनरुज्जीवन और पुनर्वास के लिए ढांचा' पर जारी दिशा-निर्देशों के साथ पढ़ा जाए) तथा एमएसई क्षेत्र के लिए अनर्जक ऋण की वसूली के लिए नॉन-डिसक्रीशनरी एकबारगी निपटान योजना लागू करें तथा

ख) बैंक उनके द्वारा कार्यान्वित एकबारगी निपटान योजना बैंक की वेबसाइट पर डालकर तथा अन्य संभावित प्रचार विधि के माध्यम से उसका प्रचार करें। वे उधारकर्ताओं को आवेदन प्रस्तुत करने तथा

देय राशि की चुकौती करने के लिए भी पर्याप्त समय दें ताकि पात्र उधारकर्ताओं को योजना के लाभ प्रदान किए जा सकें।

3.8 एमएसएमई के पुनरुज्जीवन और पुनर्वास के लिए ढांचा

सूक्ष्म (माइक्रो), लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी 29 मई 2015 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के खातों में दबाव दूर करने के लिए सरल और त्वरित प्रणाली उपलब्ध कराने तथा एमएसएमई के संवर्धन और विकास को सुसाध्य बनाने के लिए 'सूक्ष्म (माइक्रो), लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के पुनरुज् जीवन और पुनर्वास के लिए ढांचा' अधिसूचित किया था। भारत सरकार, एमएसएमई मंत्रालय के साथ परामर्श करते हुए इस ढांचे में कतिपय परिवर्तन करने के बाद रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 मार्च 2016 के परिपत्र विसविवि एमएसएमई एण्ड एनएफएस बीसी.सं.21/06.02.31/2015-16 द्वारा बैंकों को परिचालनात्मक अनुदेश जारी किए ताकि उसे 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण' पर लागू वर्तमान विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जा सके। इस ढांचे के अंतर्गत ₹ 25 करोड़ तक की ऋण सीमा वाली एमएसएमई इकाइयों के पुनरुज्जीवन और पुनर्वास पर कार्य किया जाएगा। इस संशोधित ढांचे से दिनांक 1 नवंबर 2012 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि कैंका.एमएसएमई एण्ड एनएफएस.बीसी.40/06.02.31/2012-13 द्वारा रुग्ण माइक्रो और लघु उद्यमों की पुनर्व्यवस्था पर हमारे पूर्ववर्ती दिशानिर्देश, उक्त परिपत्र में संभाव्य रूप से अर्थक्षम इकाइयों की पुनर्व्यवस्था और एकबारगी निपटान के लिए राहत और रियायतों से संबंधित दिशानिर्देशों को छोड़कर, अधिक्रमित हुए हैं। एसएफबी मार्गदर्शन के लिए उक्त परिपत्र की विषय-वस्तु देखें।

3.9 एमएसई क्षेत्र के लिए ऋण वृद्धि पर निगरानी के लिए संरचित तंत्र

एमएसई क्षेत्र के लिए ऋण की वृद्धि में कमी के कारण उत्पन्न चिंताओं को देखते हुए, इस क्षेत्र में ऋण संबंधी सभी मुद्दों की निगरानी के लिए बैंकों द्वारा सुनियोजित कार्यविधि का सुझाव देने के लिए भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की अगुवाई में एक उप-समिति (अध्यक्ष : श्री के.आर.कामथ) गठित की गई थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिनांक 9 मई 2013 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.एमएसएमई एण्ड एनएफएस. बीसी.सं.74/06.02.31/2012-13 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। एसएफबी, मार्गदर्शन के लिए उक्त परिपत्र की विषय-वस्तु देखें।

अध्याय -IV. संस्थागत व्यवस्थाएँ

4 संस्थागत व्यवस्थाएँ

4.1 माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए अधिकार-प्राप्त समिति

संघ वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय निदेशकों की अध्यक्षता में माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर अधिकार-प्राप्त समितियां गठित की गई हैं जिनमें राज्य स्तरीय बैंकर समिति संयोजक के प्रतिनिधि, राज्य में एमएसएमई वित्तपोषण में सर्वाधिक हिस्सा होने वाले दो बैंकों के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी, सिडबी क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधि, राज्य सरकार के एमएसएमई या उद्योग के निदेशक, राज्य में एमएसएमई संघ के एक या दो वरिष्ठ स्तर के प्रतिनिधि तथा एसएफसी/ एसआईडीसी के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य हैं। समिति आवधिक रूप से बैठक करेगी तथा एमएसएमई वित्तपोषण में हुई प्रगति और रुग्ण माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों के पुनर्वास की भी समीक्षा करेगी। यह क्षेत्र को सहज ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने में आने वाली बाधाओं, यदि कोई हों, के निवारण हेतु अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं और राज्य सरकार के साथ समन्वयन करेगी।

4.2 भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई)

भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) ने माइक्रो और लघु उद्यमों के लिए बैंक प्रतिबद्धता की संहिता तैयार की है। यह स्वैच्छिक संहिता है जो बैंको द्वारा, जब वे माइक्रो और लघु उद्यमों से संव्यवहार करते हैं, माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 में परिभाषित किए गए अनुसार, अपनाए जाने के लिए बैंकिंग संव्यवहार के न्यूनतम मानक तय करती है। यह माइक्रो और लघु उद्यमों को संरक्षण प्रदान करती है और यह बताती है कि माइक्रो और लघु उद्यमों के साथ संव्यवहार करते समय बैंकों के दैनिक परिचालन में और वित्तीय समस्याओं की घड़ी में उनसे क्या अपेक्षा की गई है।

यह संहिता भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विनियामक या पर्यवेक्षी अनुदेशों को न तो प्रतिस्थापित करती है और न ही अधिक्रमित करती है और लघु वित्त बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी ऐसे अनुदेशों/ निदेशों का पालन करते रहेंगे। संहिता का पूरा पाठ बीसीएसबीआई की वेबसाइट (www.bcsbi.org.in) पर उपलब्ध है।

4.3 माइक्रो और लघु उद्यम क्षेत्र - वित्तीय साक्षरता और परामर्शी सहायता की अनिवार्यता

एमएसएमई क्षेत्र में वित्तीय वंचन (एक्सक्लूजन) के काफी अधिक परिमाण को देखते हुए लघु वित्त बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि उक्त वंचित यूनिटों को औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र के भीतर लाया जाए। लेखाकरण तथा वित्त, कारोबारी आयोजना आदि सहित वित्तीय साक्षरता, परिचालनगत कौशल का अभाव एमएसई के उधारकर्ताओं के लिए कठिन चुनौती बनी है, जिसके कारण इन जटिल वित्तीय क्षेत्रों में बैंकों द्वारा सुविधा प्रदान किए जाने की जरूरत अधोरेखित हो जाती है। इस संबंध में एसएफबी अध्याय IV का संदर्भ ले सकते हैं।

4.4 समूह (क्लस्टर) दृष्टिकोण

लघु वित्त बैंक निम्नानुसार क्लस्टरों/ समुदायों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकते हैं :

(i) संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) द्वारा देश के विभिन्न भागों में 21 राज्यों में फैले 388 क्लस्टर अभिनिर्धारित किए गए है। यूएनआईडीओ द्वारा अभिनिर्धारित एसएमई क्लस्टरों की सूची दिनांक 21 जुलाई 2016 के मास्टर निदेश - माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को उधार के अनुबंध II में दी गई है।

(ii) सूक्ष्म (माइक्रो), लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि योजना (एसएफयूआरटीआई) तथा माइक्रो एवं लघु उद्यम समूह विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के अंतर्गत 121 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में स्थित समूहों की सूची अनुमोदित की है।

4.5 विलंबित भुगतान

माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (एमएसएमईडी), 2006 में लघु एवं अनुषंगी औद्योगिक उपक्रमों के लिए विलंबित भुगतान पर ब्याज अधिनियम, 1998 के प्रावधानों को मजबूत किया गया है जो निम्नानुसार हैं :

(i) क्रेता को उसके और आपूर्तिकर्ता के बीच लिखित रूप में सहमत तारीख को या उससे पूर्व आपूर्तिकर्ता को भुगतान करना होगा और यदि कोई करार नहीं हुआ हो तो नियत दिन से पूर्व भुगतान करना होगा। आपूर्तिकर्ता और क्रेता के बीच की सहमत अवधि स्वीकरण की तारीख अथवा माने गए स्वीकरण की तारीख से 45 (पैंतालीस) दिनों से अधिक नहीं होगी।

(ii) यदि क्रेता आपूर्तिकर्ता को राशि का भुगतान नहीं कर पाया तो वह राशि पर नियत दिन या निर्धारित तारीख से रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर का तीन गुना चक्रवृद्धी ब्याज, मासिक आधार पर भुगतान करने हेतु बाध्य होगा।

(iii) आपूर्तिकर्ता द्वारा माल की आपूर्ति या दी गई सेवा के लिए क्रेता उक्त (ii) में सूचित ब्याज के भुगतान हेतु बाध्य होगा।

(iv) देय राशि में विवाद होने पर संबंधित राज्य सरकार द्वारा गठित माइक्रो और लघु उद्यम सुविधा सेवा परिषद से संपर्क किया जाएगा।

साथ ही, एसएफबी को सूचित किया गया है कि वे विशेषतः एमएसएमई से खरीद से संबंधित भुगतान बाध्यता की पूर्ति हेतु बड़े उधारकर्ताओं के लिए समग्र कार्यकारी पूंजी सीमाओं के भीतर उप-सीमाएं निर्धारित करें।

खंड -V. माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को ऋण प्रवाह पर समिति

5. लघु वित्त बैंक एमएसई को उधार प्रदान करते समय निम्नलिखित परिपत्रों में दी गई विषय वस्तु द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं:

5.1 लघु उद्योग (अब एमएसई) को ऋण पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट (कपूर समिति)

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिनांक 28 अगस्त 1998 के परिपत्र ग्राआऋवि.सं.पीएलएनएफएस. बीसी.सं.22/06.02.31/98-99 द्वारा कपूर समिति की सिफारिशों को लागू करने हेतु सूचित किया गया है।

5.2 लघु उद्योग क्षेत्र (अब एमएसई) को संस्थागत ऋण की पर्याप्तता और संबंधित पहलुओं की जाँच हेतु समिति की रिपोर्ट (नायक समिति)

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिनांक 2 मार्च 2001 के परिपत्र ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस/ बीसी.सं.61/06.02.62/2000-01 द्वारा नायक समिति की सिफारिशों को लागू करने हेतु सूचित किया गया है।

5.3 लघु उद्योग (अब एमएसई) क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट (गांगुली समिति)

बैंकों को, समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु दिनांक 4 सितंबर 2004 के परिपत्र ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.28/06.02.31(डब्ल्यूजी)/2004-05 द्वारा सूचित किया गया है।

5.4 रुग्ण एसएमई के पुनर्वास पर कार्यकारी दल (अध्यक्ष: डॉ. के.सी.चक्रवर्ती)

बैंकों को 4 मई 2009 के परिपत्र ग्राआऋवि.एसएमई एंड एनएफएस.बीसी.सं.102/06.04.01/2008-09 द्वारा सूचित किया गया था कि वे अन्य बातों के साथ-साथ ₹ 2 करोड़ तक के सभी अग्रिमों के मामले में स्कोरिंग मॉडल के आधार पर उधार देने संबंधी सिफारिशों को लागू करने पर विचार करें। बैंकों को 15 अप्रैल 2014 के परिपत्र बैंपविवि. डीआईआर. बीसी. सं.106/13.03.00/2013-14 द्वारा यह भी सूचित किया गया कि वे एमएसई उधारकर्ताओं के ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन में बोर्ड अनुमोदित क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल का प्रयोग करने की दृष्टि से एमएसई क्षेत्र को क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में लागू अपनी ऋण नीति की समीक्षा करें।

अनुबंध - I

लघु उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर 2006

का.आ. 1722 (अ)- केन्द्रीय सरकार, सूक्ष्म, माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27), जिसे इसमें उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित मदों को विनिर्दिष्ट करती है जिनकी लागत को उक्त अधिनियम के खण्ड 7 (1) (a) में वर्णित उद्यमों की दशा में संयंत्र एवं मशीनरी में विनिधान की गणना करते समय अपवर्जित किया जायेगा ।

(i) उपस्कर जैसे औजार, जिग्स, डाईयां, मोल्डस और रखरखाव के फालतू पुर्जे और उपभोज्य सामान की लागत;

(ii) संयंत्र और मशीनरी का प्रतिष्ठापन;

(iii) अनुसन्धान और विकास उपस्कर और प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर;

(iv) राज्य बिजली बोर्ड के विनियम के अनुसार उद्यमों द्वारा प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन सेट और अतिरिक्त ट्रांसफार्मर;

(v) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम या राज्य लघु उद्योग निगम को संदत्त बैंक प्रभार और सेवा प्रभार;

(vi) केबलों का प्रतिष्ठापन या उपार्जन, वायरिंग, बस बारों, विद्युत नियंत्रण पेनल (जो किसी मशीन पर चढ़ी न हो) आइल सर्किट ब्रेकर्स या सूक्ष्म सर्किट ब्रेकर्स जो संयंत्र और मशीनरी को विद्युत शक्ति देने के लिए या सुरक्षात्मक उपाय के लिए आवश्यक रुप से प्रयोग किया जाना है;

(vii) गैस उत्पादक संयंत्र;

(viii) परिवहन प्रभार (बिक्रय कर या मूल्य वर्धित कर और उत्पाद शुल्क को छोड़कर) स्वदेशी मशीन के लिए उनके उत्पादन के स्थान से उद्यम के स्थान तक;

(ix) संयंत्र और मशीनरी के परिनिर्माण करने में तकनीकी ज्ञान के लिए प्रदत्त प्रभार;

(x) ऐसी भंडारण टंकी जो कच्चा माल और तैयार उत्पाद का भंडारण करते हों और जो उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित न हों, और

(xi) अग्निशमन उपस्कर।

2. पैरा 1 के अनुसार संयंत्र और मशीनरी में विनिधान की गणना करते समय उसके वास्तविक मूल्य को इस बात पर ध्यान दिये बिना कि चाहे मशीनरी नई है या पुरानी गणना में लिया जाएगा परन्तु तब जब कि मशीनरी आयातित है तो निम्नलिखित को, मूल्य की गणना करते समय सम्मिलित किया जायेगा, अर्थात्

(i) आयात शुल्क (विभिन्न खर्चों जैसे पतन से कारखाने के स्थल तक का परिवहन खर्च, पत्तन पर संदत्त डेमरेज प्रभार, को छोड़कर) ;

(ii) नौवहन प्रभार;

(iii) सीमा शुल्क निकासी प्रभार; और

(iv) विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर।

---हस्ता---

(फा.सं.4(1)/2006-एमएसएमई नीति),

जवाहर सरकार, अपर सचिव

अध्याय IV : वित्तीय साक्षरता

खंड - I बैंक के अपने कर्मचारियों द्वारा संचालित ग्रामीण बैंकिंग आउटलेट द्वारा वित्तीय साक्षरता कैम्प का आयोजन

वित्तीय साक्षरता कैम्पों का आयोजन

लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के अपने कर्मचारियों द्वारा संचालित ग्रामीण बैंकिंग आउटलेट द्वारा अपेक्षित है कि वे प्रति माह एक कैम्प (प्रति माह शाखा के कार्य समय के बाद तीसरे शुक्रवार को) आयोजित करें। इस कैम्प में ऐसे सभी संदेश जो वित्तीय जागरुकता संदेश (फेम) पुस्तिका का भाग हैं और दो डिजिटल प्लैटफार्म यूपीआई और *99# (यूएसएसडी) समावेशित होंगे। बैंक के अपने कर्मचारियों द्वारा संचालित ग्रामीण बैंकिंग आउटलेट द्वारा अपनाए जाने वाले प्रस्तावित दृष्टिकोण अनुबंध I में सोदाहरण दिया गया है। यदि गांव में ऐसे दो या उससे अधिक आउटलेट हैं तो अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे आउटलेट प्रति माह बारी-बारी से कैम्प आयोजित करते हैं।

एफआईएफ से वित्तीय सहायता

लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के अपने कर्मचारियों द्वारा संचालित ग्रामीण बैंकिंग आउटलेट वित्तीय साक्षरता कैम्प के लिए प्रति कैम्प ₹5,000/- की अधिकतम सीमा के अधीन कैम्प के व्यय के 60 प्रतिशत की सीमा तक वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। वित्तीय के विवरण के लिए कृपया नाबार्ड द्वारा जारी दिनांक 04 मई 2017 का परिपत्र सं.107/डीएफआईबीटी-24/2017 देखें।

खंड – II. रिपोर्टिंग प्रणाली

रिपोर्टिंग प्रणाली :

तिमाही की समाप्ति से 30 दिन के भीतर अनुबंध I में दी गई रिपोर्टिंग फॉर्मेट एसएलबीसी/ यूटीएलबीसी को प्रस्तुत करना होगा।

उपर्युक्त दिशानिर्देश 1 जुलाई 2017 से प्रभावी होंगे तथा रिपोर्टिंग फार्मेट 30 सितंबर 2017 को समाप्त तिमाही से लागू होंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक के अग्रणी जिला अधिकारियों (एलडीओ) द्वारा वित्तीय साक्षरता कैम्प के प्रभाव का निरंतर आधार पर आकलन/ मूल्यांकन किया जाएगा।

अनुबंध I

बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा कैम्प के आयोजन पर तिमाही रिपोर्ट

राज्य	
समाप्त तिमाही	
वर्ष	

जिला	**जिले में बैंक के अपने कर्मचारियों द्वारा संचालित ग्रामीण बैंकिंग आउटलेट की संख्या**	**तिमाही के दौरान आयोजित कैम्पों की संख्या**

अध्याय V: वित्तीय समावेशन

खंड – I. वित्तीय समावेशन योजनाएं

वित्तीय समावेशन योजनाएं

चूंकि वित्तीय समावेशन को और आगे बढ़ाने के लिए लघु वित्त बैंक स्थापित किए जा रहे हैं तथा उनके ग्राहक मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिक बल, कम आय वाले परिवार, छोटे व्यवसाय, अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाएं आदि होंगे इसलिए उनके आंतरिक लक्ष्य उनके उद्देश्यों के अनुसार होने चाहिए। इस संबंध में बैंक का बोर्ड नियमित आधार पर प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) से संबंधित निगरानी प्रारूप में निर्धारित विभिन्न मानदंडों के अनुसार प्रगति रिपोर्ट को मासिक आधार पर प्रस्तुत करेंगे। इस संबंध में, लघु वित्त बैंकों के लिए एफआईपी पर दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं :

क. लघु वित्त बैंक, चार आबादी समूहों यथा महानगरीय, शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण से संबंधित जिला स्तरीय ग्रेनुलर डेटा प्रस्तुत करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए **वित्तीय समावेशन योजना के टेम्पलेट** को अपनाएंगे। पिछले माह से संबंधित डेटा की मासिक प्रगति अनुवर्ती माह की 15 तारीख को प्रस्तुत करनी होगी।

ख. एफआईपी के विभिन्न मापदंडों के संबंध में प्रगति की निगरानी मासिक आधार पर होगी तथा वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाएगी।

खंड – II. व्यवसाय प्रतिनिधि

व्यवसाय प्रतिनिधि – नकदी प्रबंधन और समावेशी (अंब्रेला) बीमा

लघु वित्त बैंक अपने निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) रखने के लिए योजना बनाए और मार्गदर्शन के लिए बैंकिंग विनियमन विभाग द्वारा शाखा प्राधिकरण पर मास्टर परिपत्र (www.rbi.org.in पर उपलब्ध) के अंतर्गत व्यवसाय प्रतिनिधियों पर जारी तथा समय-समय पर अद्यतन अनुदेश देखें। बीसी द्वारा किए जाने वाले कार्यकलाप बैंकिंग व्यवसाय के सामान्य कार्यों के अंतर्गत होंगे। वित्तीय समावेशन को

आगे बढ़ाने में बीसी की कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए, नकदी प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं :

क. बैंकों के बोर्डों को हर छमाही में कम से कम एक बार बीसी के परिचालनों की समीक्षा करनी चाहिए जो इस बात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से हो कि कारपोरेट बीसी एवं बीसी एजेंटों के पूर्व निधियन की आवश्यकता को क्रमिक रूप से समय के साथ -साथ कम किया जाता है। आदर्श रूप में, सभी सामान्य मामलों में पूर्व निधियन क्रमिक रूप से इस प्रकार कम किया जाना चाहिए कि बीसी के परिचालन प्रारंभ करने के 2 वर्षों की समयावधि में, जमाराशियों के मामले में हर बीसी / सीएसपी के लिए निर्धारित सीमाओं के लगभग 15 प्रतिशत और बैंक गारंटियों, आदि के मामले 30 प्रतिशत पर पहुंच जाए।

ख. बोर्ड को बीसी पारिश्रमिक के भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा करनी चाहिए और उसे बैंक के उच्चतम प्रबंधन द्वारा निगरानी की एक प्रणाली भी बनानी चाहिए। बीसी को जमाराशि रखी जाने और विभिन्न क्रेडिट, प्रेषण, ओवरड्राफ्ट तथा बैंक के अन्य उत्पाद के भुगतान कार्य करने की अनुमति देने संबंधी मुद्दे की भी बोर्ड द्वारा समय -समय पर जांच की जानी चाहिए। इस संबंध में बोर्ड द्वारा शिकायत निवारण प्रणाली भी स्थापित करनी चाहिए।

ग. बैंकों को चाहिए कि वे बीसी द्वारा प्रयोग की जाने वाली नकदी के लिए अंब्रेला बीमा उपलब्ध कराने हेतु बोर्ड अनुमोदित प्रणाली स्थापित करें।

खंड – III. स्वयं सहायता समूह - बैंक सहलग्नता कार्यक्रम

लघु वित्त बैंकों के लिए स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) - बैंक सहलग्नता कार्यक्रम

एसएचजी सहलग्नता कार्यक्रम को बढ़ावा देने तथा उसे कायम रखने हेतु लघु वित्त बैंकों को सूचित किया गया हैं कि वे नीति और कार्यान्वयन दोनों स्तर पर एसएचजी को उधार देने को अपनी मुख्य धारा के ऋण परिचालनों का ही एक भाग मानें। एसएचजी सहलग्नता को वे अपनी कारपोरेट कार्यनीति/ योजना, अपने अधिकारियों और स्टाफ के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल करें तथा इसे एक नियमित व्यवसायिक गतिविधि के रूप में लागू करें और आवधिक रूप से उसकी निगरानी एवं समीक्षा करें।

एसएफबी स्वयं सहायता समूहों के संबंध में, उपर्युक्त के अनुरूप, नीतियाँ बनाते समय निम्न दिशानिर्देशों को ध्यान में रखें :-

क) **एसएचजी उधारियाँ आयोजना प्रक्रिया का भाग हों:** एसएचजी को दिए गए उधारों को प्रत्येक एसएफबी द्वारा शाखा ऋण योजना, ब्लॉक ऋण योजना, जिला ऋण योजना और राज्य ऋण योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिए। जब एसएचजी बैंक सहलग्नता कार्यक्रम के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा रहा हो तो इन योजनाओं को तैयार करने में इस क्षेत्र को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसे बैंक की कारपोरेट ऋण योजना का एक महत्वपूर्ण भाग बनाया जाना चाहिए।

ख) **बचत बैंक खाता खोलना :** पंजीकृत और अपंजीकृत एसएचजी जो अपने सदस्यों की बचत आदतों को बढ़ाने के कार्य में संलग्न हैं, एसएफबी के साथ बचत खाते खोलने हेतु पात्र हैं। यह आवश्यक नहीं है कि इन एसएचजी ने बचत बैंक खाते खोलने से पहले बैंकों की ऋण सुविधा का उपयोग किया हो। चूंकि सभी पदधारियों का केवाईसी सत्यापन पर्याप्त है, अत: एसएचजी के बचत बैंक खाते खोलते समय एसएचजी के सभी सदस्यों का केवाईसी सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं है। एसएचजी को ऋण सहलग्नता प्रदान करते समय सदस्यों अथवा पदधारियों का अलग से केवाईसी सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं है।

ग) **मार्जिन और प्रतिभूति मानदण्ड :** नाबार्ड द्वारा जारी परिचालनगत दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों द्वारा एसएचजी को बचत सहलग्न ऋण स्वीकृत किया जा सकता है (यह बचत और ऋण अनुपात 1 : 1 से 1 : 4 तक भिन्न-भिन्न हो सकता है)। यद्यपि, परिपक्व एसएचजी के मामलों में, बैंक के विवेकानुसार बचत के चार गुणा तक ऋण सीमा से परे भी ऋण प्रदान किया जा सकता है।

घ) **दस्तावेजीकरण :** एक ऐसी आसान प्रणाली, जिसमें न्यूनतम क्रियाविधि और दस्तावेजीकरण की अपेक्षा हो, एसएचजी को ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने की पूर्व शर्त है। बैंकों को अपने शाखा प्रबंधकों को पर्याप्त मंजूरी अधिकार प्रदान करके ऋण शीघ्र स्वीकृत और संवितरित करने की व्यवस्था करनी चाहिए तथा परिचालनगत सभी व्यवधानों को दूर करना चाहिए। ऋण आवेदन फार्मों, प्रक्रिया और दस्तावेजों को आसान बनाना चाहिए। इससे शीघ्र और सुविधाजनक रूप से ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

ङ) **एसएचजी में चूककर्ताओं की उपस्थिति :** एसएचजी के कुछ सदस्यों तथा/ अथवा उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा वित्तपोषण करने वाले बैंक के प्रति चूक, सामान्यतया, बैंकों द्वारा एसएचजी के वित्तपोषण में आड़े नहीं आनी चाहिए, बशर्ते एसएचजी ने चूक न की हो। तथापि, एसएचजी द्वारा बैंक ऋण का उपयोग बैंक के प्रति चूककर्ता सदस्य के वित्तपोषण के लिए न किया जाए।

च) **क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण :** लघु वित्त बैंक, एसएचजी सहलग्नता परियोजना के आन्तरिककरण के लिए यथोचित कदम उठा सकते हैं तथा फील्ड स्तर के पदाधिकारियों के लिए विशिष्ट रूप से अल्पावधि कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। साथ ही, उनके मध्यम स्तर के नियंत्रक अधिकारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के लिए उचित जागरूकता/ सुग्राहीकरण कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं।

छ) **एसएचजी उधार की निगरानी और समीक्षा** : लघु वित्त बैंकों द्वारा नियमित अंतराल पर एसएचजी कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी करनी चाहिए। प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर और 31 मार्च को समाप्त छमाही के आधार पर नाबार्ड (सूक्ष्म ऋण नवप्रवर्तन विभाग), मुम्बई को प्रगति रिपोर्ट भेजी जाए, जैसा कि दिनांक 21 मई 2015 के परिपत्र विसविवि.एफआईडी.बीसी.सं.56/12.01.033/2014-15 में निर्धारित किया गया है, ताकि संबंधित रिपोर्ट छमाही की समाप्ति के 30 दिन के भीतर नाबार्ड कार्यालय पहुंच जाए।

ज) **ब्याज दरें :** लघु वित्त बैंकों को स्वयं सहायता समूहों/ सदस्य हिताधिकारियों को दिए गए ऋणों पर लागू ब्याज दरों संबंधी निर्णय लेने का विवेकाधिकार होगा।

झ) **सेवा/ प्रक्रिया प्रभार :** रु.25,000/- तक के प्राथमिकता-प्राप्त ऋण पर ऋण संबंधी कोई और तदर्थ सेवा प्रभार/ निरीक्षण प्रभार नहीं लगाया जाना चाहिए। एसएचजी/ जेएलजी को दिए जाने वाले पात्र प्राथमिकता-प्राप्त ऋणों के मामले में, यह सीमा समग्र समूह के बजाय समूह के प्रति सदस्य पर लागू होगी।

ञ) **एसएचजी का कुल वित्तीय समावेशन और ऋण आवश्यकता :** लघु वित्त बैंकों को सूचित किया गया है कि वे एसएचजी के सदस्यों की सभी ऋण संबंधी आवश्यकताएं अर्थात् (क) आय उपार्जक क्रियाकलाप, (ख) सामाजिक आवश्यकताएं जैसे आवास, शिक्षा, विवाह, आदि और (ग) ऋण अदला-बदली (स्वैप) की आवश्यकताओं को पूरा करें।

ट) **एसएचजी सहलग्नता को प्रोत्साहित करना :** लघु वित्त बैंक को चाहिए कि वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल ऐसी प्रक्रियाओं में पूर्ण लचिलापन प्रदान करते हुए, क्रियाविधि को पूर्णरूपेण सरल और आसान करते हुए, अपनी शाखाओं को एसएचजी को वित्तपोषित करने और उनके साथ सहलग्नता स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन दें। एसएचजी की कार्यप्रणाली की सामूहिक प्रगति उन पर ही छोड़ दी जाए और न उन्हें विनियमित किया जाए और न ही उन पर औपचारिक ढांचा थोपा जाए। एसएचजी के वित्तपोषण के प्रति दृष्टिकोण पूर्णत: बाधारहित होना चाहिए तथा उसमें उपभोग व्यय को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

अध्याय VI: कृषि क्षेत्र

खंड - I. संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना

1. परिचय

बैंकों द्वारा किसानों को उनकी धारिताओं के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड जारी करते समय एकसमान पद्धति अपनाए जाने के लिए 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना शुरू की गई थी ताकि किसान बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां, आदि जैसी कृषि निविष्टियों की तत्काल खरीद और अपनी उत्पादन संबंधी आवश्यकताओं हेतु नकदी आहरित के लिए उसका उपयोग कर सके। बाद में वर्ष 2004 में किसानों की निवेश ऋण आवश्यकता अर्थात संबद्ध और कृषीतर गतिविधियों के लिए यह योजना लागू की गई थी। तदनंतर वर्ष 2012 में श्री टी.एम.भसिन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इंडियन बैंक की अध्यक्षता में गठित कार्यदल द्वारा इस योजना के सरलीकरण एवं इलेक्ट्रानिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने में सुविधा होने की दृष्टि से योजना की पुन: समीक्षा की गई। योजना में किसान क्रेडिट कार्ड योजना को परिचालन में लाने के संबंध में बैंकों के लिए व्यापक दिशानिर्देश दिए गए हैं। योजना को कार्यान्वित करने वाले बैंकों को विशिष्ट संस्था/ स्थानगत आवश्यकताओं के अनुरूप उसे अपनाने का विवेकाधिकार होगा।

2. योजना की प्रयोज्यता

आगामी पैरा में विस्तार से वर्णित किसान क्रेडिट कार्ड योजना को वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है।

3. उद्देश्य/ प्रयोजन

किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली से एकल खिड़की के तहत किसानों को लचीली और सरलीकृत क्रियाविधि सहित नीचे उल्लिखित उनकी खेती और अन्य जरूरतों के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान करना है :

क) फसलों की खेती के लिए अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना
ख) फसलोत्तर खर्च
ग) कृषि उपज विपणन ऋण
घ) किसान की घरेलू खपत आवश्यकताएं
ङ) फार्म आस्तियों और कृषि से संबद्ध गतिविधियों के रखरखाव के लिए कार्यशील पूंजी
च) कृषि और संबद्ध गतिविधियों के निवेश क्रेडिट की आवश्यकता

टिप्पणी : उपर्युक्त **क से ङ** तक के घटकों का जोड़ अल्पावधि क्रेडिट सीमा का भाग होगा और **च** के तहत घटकों का जोड़ दीर्घकालीन क्रेडिट सीमा का भाग होगा।

4. पात्रता

i. किसान - अलग-अलग/ संयुक्त उधारकर्ता जो स्वामित्व वाले किसान हैं;

ii. काश्तकार किसान, मौखिक पट्टेदार और बंटाईदार;

iii. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) या काश्तकार किसान, बंटाईदार आदि सहित किसानों का संयुक्त देयता समूह (जेएलजी)

5. क्रेडिट सीमा/ ऋण राशि का निर्धारण

किसान क्रेडिट कार्ड के तहत क्रेडिट सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाए :

5.1 सीमांत किसानों के अलावा अन्य सभी किसान[1] :

5.1.1 प्रथम वर्ष के लिए आंकी जाने वाली अल्पावधि सीमा (वर्ष में एक ही फ़सल उगाने के लिए):

फसल के लिए वित्त का मान (जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा यथा निर्णीत) x खेती का सीमा क्षेत्र + फसलोत्तर/ घरेलू/ खपत आवश्कताओं की सीमा का 10% + फार्म आस्तियों की मरम्मत और रखरखाव के खर्च की सीमा का 20% + फसल बीमा और/ या पीएआईएस सहित दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा तथा आस्ति बीमा।

5.1.2 दूसरे और बाद के वर्ष के लिए सीमा

फसल उगाने के उद्देश्य के लिए पहले साल के लिए उपर्युक्त प्रकार से आंकी गयी सीमा + लागत वृद्धि/ बाद के प्रत्येक वर्ष (दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ष) के लिए के वित्त की मात्रा में 10% वृद्धि और किसान क्रेडिट कार्ड की अवधि अर्थात पांच साल के लिए अनुमानित मीयादी ऋण घटक की सीमा (**उदाहरण I**)।

5.1.3 वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा करने के लिए

पहले वर्ष के लिए प्रस्तावित फसल पैटर्न के अनुसार उगाई गई फसल के आधार पर सीमा उपर्युक्त प्रकार से निर्धारित की जानी है तथा इसमें अतिरिक्त रूप से लागत वृद्धि/ बाद के प्रत्येक वर्ष (दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ष) के लिए के वित्त की मात्रा में वृद्धि की सीमा के 10% को जोड़ना है। यह मान लिया गया है कि किसान बाद के चार साल के लिए भी यही फसल पैटर्न अपनाएंगे। यदि बाद के वर्ष में किसान द्वारा अपनाया गया फसल पैटर्न बदल दिया जाता है तो सीमा का पुन: निर्धारण किया जाए (**उदाहरण I**)।

---

[1] 1 एकड़ (हेक्टर) तक की भूधारिता (जोत भूमि) वाले किसान (सीमांत किसान)। 1 हेक्टर से 2 हेक्टर तक की भूधारिता वाले किसान (छोटे किसान)।

5.1.4 निवेश के लिए मीयादी ऋण

भूमि विकास, लघु सिंचाई, कृषि उपकरण की खरीद और संबद्ध कृषि गतिविधियों हेतु निवेश के लिए मीयादी ऋण होता है। बैंक कृषि और संबद्ध गतिविधियों, आदि, के लिए मीयादी और कार्यशील पूंजी सीमा हेतु ऋण की मात्रा का निर्धारण किसान द्वारा अधिग्रहीत किए जाने के लिए प्रस्तावित आस्ति/ आस्तियों की यूनिट लागत, पहले से ही खेत पर की जा रही संबद्ध गतिविधियों, किसान पर मौजूदा ऋण दायित्वों सहित पड़ने वाले कुल ऋण भार की तुलना में चुकौती क्षमता के संबंध में बैंक के निर्णय के आधार पर कर सकते हैं।

दीर्घकालिक ऋण सीमा पांच वर्ष की अवधि के दौरान प्रस्तावित निवेश (निवेशों) और किसान की चुकौती क्षमता के संबंध में बैंक की धारणा पर आधारित होनी चाहिए।

5.1.5 अधिकतम अनुमत सीमा

पांचवें वर्ष के लिए आंकी गई अल्पावधि ऋण सीमा में अनुमानित दीर्घावधिक ऋण आवश्यकता जोड़ने पर अधिकतम अनुमत सीमा (एमपीएल) प्राप्त होगी और इसे किसान क्रेडिट कार्ड सीमा माना जाएगा।

5.1.6 उप-सीमाओं का निर्धारण

i. अल्पावधि ऋण और मीयादी ऋण अलग ब्याज दरों द्वारा शासित होते हैं। इसके अलावा, ₹3 लाख तक के अल्पावधि फसल ऋण को वर्तमान में भारत सरकार[2] की ब्याज सबवेंशन योजना/ तत्काल चुकौती प्रोत्साहन योजना के तहत शामिल किया जाता है। साथ ही, अल्पावधि और मीयादी ऋण के लिए चुकौती कार्यक्रम और मानदंड अलग-अलग हैं। इस कारण, परिचालन और लेखांकन सुविधा की दृष्टि से, कार्ड की सीमा का *अल्पकालिक नकदी ऋण सीमा सह बचत खाता और मीयादी ऋण के लिए* अलग उप सीमाओं में विभाजित किया जाता है।

ii. अल्पावधि नकद ऋण के लिए आहरण सीमा फसल पैटर्न के आधार पर निश्चित की जानी चाहिए। फसल उत्पादन, कृषि आस्तियों की मरम्मत और रखरखाव तथा खपत के लिए किसान की सुविधा के अनुसार राशि (राशियों) आहरित करने की अनुमति दी जा सकती है। पांच साल की सीमा तय करते समय जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा किसी भी वर्ष के लिए वित्त की मात्रा के संशोधन 10% नोशनल वृद्धि से अधिक होता है तो किसान के साथ परामर्श करते हुए संशोधित आहरण सीमा निर्धारित की जा सकती है। यदि ऐसे संशोधनों में कार्ड की सीमा को ही बढ़ाना जरूरी हो जाए (चौथे या पांचवें वर्ष) तो ऐसा किया जाए और किसान को इसकी सूचना दी जाए।

iii. मीयादी ऋणों के लिए, निवेश के स्वरूप के आधार पर किस्त आहरित करने की अनुमति दी जाए एवं प्रस्तावित निवेश के आर्थिक लाइफ के अनुसार चुकौती कार्यक्रम तैयार किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी समय कुल देयता **संबंधित वर्ष की आहरण सीमा के भीतर** रहती है।

iv. जहाँ कहीं भी इस प्रकार आंकी गई कार्ड सीमा/ देयता के लिए अतिरिक्त जमानत की व्यवस्था जरूरी हो वहां बैंक अपनी नीति के अनुसार उपयुक्त संपार्श्विक जमानत ले सकते हैं।

---

[2] वर्तमान में लघु वित्त बैंकों के लिए लागू नहीं।

5.2 सीमांत किसानों के लिए

धारित जोत तथा फसलोत्तर गोदाम भंडारण सहित उगाई गई फसलों से संबंधित क्रेडिट की जरूरतों और अन्य फार्म खर्चों, खपत आवश्यकता, आदि, सहित भूमि के मूल्य से संबद्ध किए बिना शाखा प्रबंधक के मूल्यांकन के अनुसार कृषि उपकरण (उपकरणों) की खरीद, मिनी डेयरी/ पिछवाड़े (बैकयार्ड) पोल्ट्री स्थापित करने जैसे छोटे मीयादी ऋण निवेश (निवेशों) के आधार पर ₹ 10,000 से ₹ 50,000 तक की एक लचीली सीमा (फ्लेक्सी केसीसी के रूप में) प्रदान की जाए। इस आधार पर पांच वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त केसीसी सीमा निर्धारित की जाए।

जहाँ कहीं फसल पैटर्न और/ या वित्त की मात्रा में परिवर्तन के कारण उच्चतर सीमा आवश्यक हो, वहां पैरा 4.1 में उल्लिखित अनुमान के अनुसार सीमा आंकी जा सकती है (**उदाहरण II**)।

6. वितरण

6.1 किसान क्रेडिट कार्ड सीमा का अल्पावधि घटक परिक्रामी नकद ऋण सुविधा के स्वरूप का है। कितनी बार डेबिट और क्रेडिट हो इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। वर्तमान सीज़न/ वर्ष के लिए आहरण सीमा में से निम्न वितरण (सुपुर्दगी) माध्यमों में से किसी का उपयोग कर आहरण करने अनुमति दी जा सकती है।

i. शाखा के माध्यम से परिचालन;
ii. चेक सुविधा का उपयोग कर परिचालन;
iii. एटीएम/ डेबिट कार्ड के माध्यम से आहरण
iv. व्यवसाय प्रतिनिधि और बैंकिंग आउटलेट/ अंशकालिक बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से परिचालन'[3]
v. विशेष रूप से टाई अप अग्रिम के लिए चीनी मिलों/ ठेकेदारी खेती कंपनियों, आदि में उपलब्ध पीओएस के माध्यम से परिचालन;
vi. इनपुट डीलरों के साथ उपलब्ध पीओएस के माध्यम से परिचालन;
vii. कृषि इनपुट डीलरों और मंडी में मोबाइल आधारित अंतरण लेनदेन.

टिप्पणी : (v), (vi) और (vii) को यथा शीघ्र लागू करना ताकि बैंक और किसान दोनों के लिए लेनदेन की लागत कम की जा सके।

6.2 निवेश प्रयोजनों के लिए दीर्घावधि ऋण निर्धारित किस्त के अनुसार आहरित किया जा सकता हैं।

7. इलेक्ट्रानिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना

सभी नये केसीसी, अनुबंध के भाग II में यथा निर्धारित रूप में स्मार्ट कार्ड कम डेबिट कार्ड के रूप में जारी किए जाने चाहिए। साथ ही, वर्तमान केसीसी के नवीकरण के समय किसानों को स्मार्ट कार्ड कम डेबिट कार्ड जारी किए जाने चाहिए।

---

[3] शाखा प्राधिकरण नीति के औचित्यकरण - दिशानिर्देशों में संशोधन पर बैंकिंग विनियमन विभाग का परिपत्र

अल्पावधि ऋण सीमा और मीयादी ऋण सीमा ये समग्र केसीसी सीमा के दो अलग-अलग घटक हैं और उनके लिए ब्याज दरें और चुकौती अवधियां अलग-अलग होती हैं। जब तक उप सीमाओं में लेनदेन का अलग-अलग हिसाब करने के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर के साथ संयुक्त कार्ड जारी नहीं किया जाता तब तक सभी नये/ नवीकृत कार्ड के लिए दो अलग-अलग इलेक्ट्रानिक कार्ड जारी किए जाने चाहिए।

8. वैधता/ नवीकरण

i. बैंक केसीसी की वैधता अवधि और उसकी आवधिक समीक्षा निर्धारित कर सकते हैं।

ii. समीक्षा के परिणामस्वरूप उधारकर्ता के फसल क्षेत्र/ पैटर्न और कार्यनिष्पादन में होने वाली वृद्धि के आधार पर सुविधा आगे जारी रखी जाएगी, सीमा में बढ़ोतरी की जाएगी या सीमा रद्द की जाएगी/ सुविधा वापस ले ली जाएगी।

iii. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने के कारण किसान को जब बैंक द्वारा पुनर्भुगतान की अवधि में विस्तार और/ या पुनर्निर्धारण किया जाता है तो परिचालनों की स्थिति संतोषजनक या अन्यथा के रूप में आंकी जाने की अवधि विस्तारित राशि की सीमा के साथ-साथ बढ़ जाएगी। जब प्रस्तावित विस्तार एक फसल मौसम से अधिक हो तब जिन कुल डेबिट पर एक्स्टेंशन दिया गया है उन्हें किश्तों में भुगतान की शर्त के साथ अलग मीयादी ऋण खाते में अंतरित किया जाना है।

9. ब्याज दर (आरओआई):

ब्याज की दर वह होगी जो अग्रिमों पर ब्याज दर पर बैंकिंग विनियमन विभाग के मास्टर निदेश में निर्धारित की गई है।

10. चुकौती अवधि:

10.1 जिस फसल के लिए ऋण दिया गया है उसके संबंध में अनुमानित फसल और विपणन अवधि के अनुसार बैंकों द्वारा चुकौती अवधि निर्धारित की जा सकती है।

10.2 मीयादी ऋण घटक, निवेश ऋण के लिए सामान्य रूप से प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य/ निवेश के प्रकार के आधार पर 5 साल की अवधि के भीतर देय होगा।

10.3 वित्तपोषक बैंक अपने विवेक पर निवेश के प्रकार के आधार पर मीयादी ऋण के लिए लंबी चुकौती अवधि प्रदान कर सकते हैं।

11. मार्जिन

बैंकों द्वारा निर्णीत किया जाना है।

12. जमानत

12.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार जमानत लागू होगी।

12.2 जमानत आवश्यकता निम्नानुसार हो सकती है :

i. *फसल दृष्टिबंधक रखना* : बैंकों को ₹ 1.00 लाख तक की केसीसी सीमा के लिए मार्जिन/ जमानत आवश्यकताओं को छोड़ देना है।

ii. *वसूली के लिए टाईअप के साथ* : बैंक फसलों के दृष्टिबंधक पर संपार्श्विक जमानत का आग्रह किए बिना ₹ 3.00 लाख की कार्ड सीमा तक ऋण मंजूर करने पर विचार कर सकते हैं।

iii. *संपार्श्विक जमानत* : गैर टाईअप अग्रिमों के मामले में ₹ 1.00 लाख से अधिक और टाईअप अग्रिमों के मामले में ₹ 3.00 लाख से अधिक की ऋण सीमा के लिए बैंक के विवेक पर संपार्श्विक जमानत प्राप्त की जा सकती है।

iv. जिन राज्यों में बैंकों को भूमि रिकार्डों पर ऑन लाइन प्रभार निर्माण करने की सुविधा प्राप्त है वहां इसे सुनिश्चित किया जाए।

13. अन्य विशेषताएं

निम्नलिखित के संबंध में एकरूपता अपनाई जाए :

13.1 भारत सरकार और/ या राज्य सरकारों द्वारा सूचित किए गए अनुसार शीघ्र चुकौती[4] के लिए ब्याज सबवेंशन/ प्रोत्साहन लागू । बैंकर इस सुविधा के बार में पर्याप्त प्रचार करेंगे ताकि अधिकतम किसानों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके।

13.2 अधिदेशात्मक फसल बीमा के अलावा किसान क्रेडिट कार्ड धारक को किसी भी प्रकार का आस्ति बीमा, दुर्घटना बीमा (पीएआईएस सहित), स्वास्थ्य बीमा (जिनमें उत्पाद उपलब्ध है) का लाभ लेने का विकल्प होना चाहिए और उसके किसान क्रेडिट कार्ड खाते के माध्यम से प्रीमियम का भुगतान किया जाना चाहिए। किसान/ बैंकों को योजना की शर्तों के अनुसार प्रीमियम वहन करना होगा। हिताधिकारी किसान को उपलब्ध बीमा कवर के बारे में बताया जाना चाहिए और आवेदन पत्र के स्तर पर ही उनकी सहमति (फसल बीमा को छोड़कर, अधिदेशात्मक होने के कारण) प्राप्त की जानी है।

13.3 पहली बार केसीसी ऋण प्राप्त करने के समय एकबारगी प्रलेखीकरण[5] हो और उसके बाद दूसरे वर्ष से किसान द्वारा (उगाए जाने वाली/ प्रस्तावित फसलों के बारे में) सरल घोषणा।

14. एनपीए के रूप में खाते का वर्गीकरण :

14.1 केसीसी योजना के अंतर्गत दिए गए ऋण के लिए आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण[6] पर मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंड लागू होंगे।

---

[4] वर्तमान में लघु वित्त बैंकों के लिए लागू नहीं।

[5] प्रलेखीकरण बैंकों के आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार

[6] आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंड पर बैंकिंग विनियमन विभाग के मास्टर निदेश

14.2 कृषि अग्रिमों के लिए यथा लागू ब्याज एकसमान रूप से लगाया जाना चाहिए।

15. प्रसंस्करण शुल्क, निरीक्षण प्रभार और अन्य प्रभार बैंकों द्वारा निर्णीत किए जा सकते हैं।

16. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संशोधित दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करते समय लागू अन्य शर्तें:

16.1 यदि किसान अपने कृषि उपज की गोदाम रसीद की जमानत पर ऋण के लिए आवेदन करता है तो बैंक इस तरह के अनुरोध पर स्थापित क्रियाविधि और दिशानिर्देशों के अनुसार विचार करेंगे। तथापि, जब इस तरह के ऋण मंजूर किए जाते हैं तब इन्हें फसल ऋण खाते, यदि कोई हो, के साथ संबद्ध किया जाना चाहिए और यदि किसान चाहे तो, खाते में बकाया फसल ऋण का निपटान गिरवी ऋण के संवितरण करने के स्तर पर किया जा सकता है।

16.2 भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) केसीसी कार्ड डिजाइन करेगा जिसे सभी बैंकों द्वारा अपनी ब्रांडिंग के साथ अपनाया जाना है।

उदाहरण I	
अ. एक वर्ष में बहुविध फसल उगाने वाले छोटे किसान	
1. अवधारणाएं :	
क. जोत : 2 एकड़	
ख. फसल का पैटर्न : धान - 1 एकड़ (वित्त की मात्रा अधिक प्रति एकड़ फसल बीमा ₹ 11,000) : गन्ना -1 एकड़ (वित्त की मात्रा अधिक प्रति एकड़ फसल बीमा ₹ 22,000)	
ग. निवेश/ संबद्ध गतिविधियां :	
i) प्रथम वर्ष में 1+1 डेरी यूनिट की स्थापना (यूनिट लागत ₹ 20,000 प्रति पशु)	
ii) तीसरे वर्ष में पंपसेट बदलना (यूनिट लागत ₹ 30,000)	
2. i) फसल ऋण घटक धान की 1 एकड़ और गन्ने की 1 एकड़ खेती की लागत (11,000 + 22,000) जोडिए : फसलोत्तर/ घरेलू खर्चे/ खपत के प्रति 10% जोडिए : फार्म के रखरखाव के प्रति 20%	 : ₹ 33,000 : ₹ 3,300 : ₹ 6,600
प्रथम वर्ष के लिए कुल फसल ऋण सीमा	**: ₹ 42,900**
दूसरे वर्ष के लिए ऋण सीमा	
जोडिए : लागत वृध्दि/ वित्त की मात्रा में बढ़ोतरी के प्रति सीमा का 10% (42,900 का 10% अर्थात 4,300)	: ₹ 4,300 : ₹ **47,200**
तीसरे वर्ष के लिए ऋण सीमा	
जोडिए : लागत वृध्दि/ वित्त की मात्रा में बढ़ोतरी के प्रति सीमा का 10% (47,200 का 10% अर्थात 4,700)	: ₹ 4,700 : ₹ 51,900
चौथे वर्ष के लिए ऋण सीमा	
जोडिए : लागत वृध्दि/ वित्त की मात्रा में बढ़ोतरी के प्रति सीमा का 10% (51,900 का 10% अर्थात 5,200)	: ₹ 5,200 : ₹ 57,100
पांचवे वर्ष के लिए ऋण सीमा जोडिए : लागत वृध्दि/ वित्त की मात्रा में बढ़ोतरी के प्रति सीमा का 10% (57,100 का 10% अर्थात 5,700)	 : ₹ 5,700 : ₹ 62,000
जैसे ....(ए)	₹ 63,000
(ii) **मीयादी ऋण घटक** : प्रथम वर्ष : 1+1 डेरी यूनिट की लागत तीसरे वर्ष : पंपसेट को बदलना	 : ₹ 40,000 : ₹ 30,000
कुल मीयादी ऋण राशि .....(बी)	: ₹ **70,000**
अधिकतम अनुमत सीमा/	**: ₹ 1,33,000**

किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट (ए) + (बी)	**: ₹ 1.33 लाख**
टिप्पणी : प्राप्त किए गए मीयादी ऋण (ऋणों) की चुकौती के शेड्यूल के आधार पर आहरण सीमा प्रत्येक वर्ष घटा दी जाएगी और आहरण सीमा की मात्रा तक राशियां आहिरत करने की अनुमित दी जाएगी।	
आ : <u>एक वर्ष</u> <u>बहुविध फसल उगानेवाले किसान</u>	
1. अवधारणाएं :	
2. जोत : 10 एकड़	
3. फसल का पैटर्न : धान - 5 एकड़ (वित्त की मात्रा अधिक प्रति एकड़ फसल बीमा : ₹ 11,000) इसके बाद मूंगफली - 5 एकड़ (वित्त की मात्रा अधिक प्रति एकड़ फसल बीमा : ₹ 10,000) गन्ना - 5 एकड़ (वित्त की मात्रा अधिक प्रति एकड़ फसल बीमा : ₹ 22,000)	
4. निवेश/ संबद्ध गतिविधियां : (i) प्रथम वर्ष में 1+1 डेरी यूनिट स्थापना (यूनिट लागत ₹ 50,000) (ii) प्रथम वर्ष में ट्रेक्टर की खरीद (यूनिट लागत ₹ 6,00,000)	
2. कार्ड सीमा का निर्धारण	
(i) ***फसल ऋण घटक***	
धान की 5 एकड़, मूंगफली की 5 एकड़ और गन्ने की 5 एकड़ खेती	: ₹ 2,15,000
जोडिए : फसलोत्तर/ घरेलू खर्च/ खपत के प्रति 10%	: ₹ 21,500
जोडिए : फार्म के रखरखाव के प्रति 20%	: ₹ 43,000
प्रथम वर्ष के लिए कुल फसल ऋण सीमा	: ₹ **2,79,500**
दूसरे वर्ष के लिए ऋण सीमा जोड़िए : लागत वृध्दि/ वित्त की मात्रा में बढ़ोतरी के प्रति सीमा का 10% (2,79,500 का 10% अर्थात 27,950)	: ₹ 27,950 : ₹ **3,07,450**
तीसरे वर्ष के लिए ऋण सीमा जोडिए : लागत वृध्दि/ वित्त की मात्रा में बढ़ोतरी के प्रति सीमा का 10% (3,07,450 का 10% अर्थात 30,750)	**:** ₹ 30,750 **:** ₹ **3,38,200**
चौथे वर्ष के लिए ऋण सीमा जोडिए : लागत वृध्दि/ वित्त की मात्रा में बढ़ोतरी के प्रति सीमा का 10% (3,38,200 का 10% अर्थात 33,800)	**:** ₹ **33,800** **:** ₹ **3,72,000**
पांचवे वर्ष के लिए ऋण सीमा जोडिए : लागत वृध्दि/ वित्त की मात्रा में बढ़ोतरी के प्रति सीमा का 10% (3,72,000 का 10% अर्थात 37,200)	**:** ₹ **37,200** **:** ₹ **4,09,200**

	जैसे .... : ₹ **4,09,000....**
(ए)	
(ii) मीयादी ऋण घटक :	
प्रथम वर्ष : 1 + 1 डेरी यूनिट की लागत	: ₹ 1,00,000
: ट्रेक्टर की खरीद	: ₹ 6,00,000
कुल मीयादी ऋण राशि ....(बी)	: ₹ **7,00,000**
अधिकतम अनुमत सीमा/ किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट (ए) + (बी)	: ₹ **11,09,000**
प्राप्त किए गए मीयादी ऋण (ऋणों) की चुकौती के शेड्यूल के आधार पर आहरण सीमा प्रत्येक वर्ष घटा दी जाएगी और आहरण सीमा की मात्रा तक राशियां आहिरत करने की अनुमित दी जाएगी।	

उदाहरण II

केसीसी सीमा का निर्धारण

1. एक वर्ष में एकल फसल उगाने वाले सीमांत किसान

1. *अवधारणाएं* :

1. जोत भूमि : 1 एकड़

2. उगाई गई फसल: धान (वित्त की मात्रा अधिक प्रति एकड़ फसल बीमा : ₹ 11,000)

3. फसल के पैटर्न में 5 वर्ष के लिए कोई बदलाव नहीं है।

4. संबद्ध गतिविधियां जिनका वित्तपोषण किया जाना है - एक अवर्गीकृत (नॉन डिस्क्रिप्टीव) दुधारु पशु (यूनिट लागत : ₹15,000)

2. *कार्ड सीमा का निर्धारण* :

(i) **फसल ऋण घटक**

(धान की 1 एकड़ की खेती की लागत)	: ₹ 11,000
जोडिए : फसलोत्तर/ घरेलू खर्च/ खपत के प्रति 10%	: ₹ 1,100
जोडिए : फार्म के रखरखाव के प्रति 20%	: ₹ 2,200
प्रथम वर्ष के लिए कुल फसल ऋण सीमा .....(ए1)	**: ₹ 14,300**

(ii) मीयादी ऋण घटक

दुधारु पशु की लागत **.....बी**	: ₹ 15,000
प्रथम वर्ष की संमिश्र केसीसी सीमा : (ए1) + (बी)	: ₹ 29,300

दूसरा वर्ष :

फसल ऋण घटक :

ए1 अधिक लागत वृद्धि/ वित्त की मात्रा में बढ़ोतरी के प्रति फसल ऋण सीमा (ए1) का 10%

[14,300+(14,300 का 10%= 1,430)] **.....ए2**	**: ₹ 15,730**
दूसरे वर्ष की संमिश्र केसीसी सीमा : ए2 + (बी) (15,730+15,000)	**: ₹ 30,730**

तीसरा वर्ष :

फसल ऋण घटक :

ए2 अधिक लागत वृद्धि/ वित्त की मात्रा में बढ़ोतरी के प्रति फसल ऋण सीमा (ए2) का 10%

[15,730+(15,730 का 10%= 1570)] **.....ए3**	**: ₹ 17,300**
तीसरे वर्ष की संमिश्र केसीसी सीमा : ए3 + (बी) (17,300 + 15,000)	**: ₹ 32,300**

चौथा वर्ष :

फसल ऋण घटक :

ए3 अधिक लागत वृद्धि/ वित्त की मात्रा में बढ़ोतरी के प्रति फसल ऋण सीमा (ए3) का 10%

[17,300+(17,300 का 10% = 1730)] **.....ए 4**	**: ₹ 19,030**
चौथे वर्ष की संमिश्र केसीसी सीमा : ए4 + बी (19,030 + 15,000)	**: ₹ 34,030**

पांचवा वर्ष :

फसल ऋण घटक :

ए4 अधिक लागत वृद्धि/ वित्त की मात्रा में बढ़ोतरी के प्रति फसल ऋण सीमा (ए4) का 10%

[19,030+(19,030 का 10% = 1,900)] **ए5**	: ₹ 20,930
पांचवे वर्ष की संमिश्र केसीसी सीमा : ए5 + बी (20,930 + 15,000)	: ₹ **35,930**
<u>अधिकतम अनुमत सीमा/</u> **<u>संमिश्र केसीसी सीमा</u>** **जैसे**	**: ₹ 36,000**
टिप्पणी: ऊपर दिए गए सभी लागत अनुमान उदाहरण स्वरुप हैं। क्रेडिट सीमा को अंतिम रूप देते समय सिफारिश की गई वित्त की मात्रा/ यूनिट लागत को हिसाब में लिया जाए।	

वितरण (सुपुदर्गी) चैनल - तकनीकी विशेषताएं

1. कार्ड जारी करना

योजना के तहत लाभार्थियों को एक स्मार्ट कार्ड/ डेबिट कार्ड (एटीएम/ हाथ में धारित स्वाइप मशीनों में प्रयोग करने के लिए संगत और किसानों की पहचान, आस्तियों, जोत भूमि और क्रेडिट पर प्रोफाइल, आदि संबंधी पर्याप्त जानकारी संग्रहीत करने के लिए सक्षम बायोमीट्रिक स्मार्ट कार्ड) जारी किया जाएगा। सभी किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को किसी एक या निम्न प्रकार के कार्डों में से एक कार्ड या मिले-जुले कार्ड प्रदान किए जाए।

2. कार्ड के प्रकार

सभी बैंकों के एटीएम और माइक्रो एटीएम में उपयोग की सुविधा प्रदान करने के लिए एक आईएसओ आईआईएन (अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन इंटरनेशनल पहचान संख्या) के साथ पिन (व्यक्तिगत पहचान संख्या) युक्त चुंबकीय पट्टीवाला कार्ड।

ऐसे मामले में जहाँ बैंक यूआईडीएआई (आधार प्रमाणीकरण) के केंद्रीकृत बॉयोमेट्रिक प्रमाणीकरण बुनियादी ढांचे का उपयोग करना चाहते है, चुंबकीय पट्टी और यूआईडीएआई के बॉयोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ आईएसओ आईआईएन पिन युक्त डेबिट कार्ड दिए जा सकते हैं।

चुंबकीय पट्टी और केवल बॉयोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ डेबिट कार्ड भी प्रदान किए जा सकते है जो बैंक के ग्राहक आधार पर निर्भर होगा। यूआईडीएआई का व्यापक प्रचलन हो जाने तक, यदि बैंक अंतर-परिचालन सुविधा के बिना उनके मौजूदा केंद्रीकृत बॉयोमेट्रिक बुनियादी सुविधा का उपयोग करना चाहते हो तो बैंक ऐसा कर सकते हैं।

बैंक चुंबकीय पट्टी और आईएसओ आईआईएन के साथ पिन युक्त ईएमवी (यूरोपे, मास्टरकार्ड और वीसा, एकीकृत सर्किट कार्ड की अंतर-परिचालन सुविधा के लिए एक वैश्चिक मानक) और रुपे, सुनम्य कंम्प्लाएंट चिप कार्ड जारी करने का विकल्प चुन सकते हैं।

साथ ही, बॉयोमेट्रिक प्रमाणीकरण और स्मार्ट कार्ड के लिए आईडीआरबीटी और आईबीए द्वारा निर्धारित सामान्य खुले मानकों का पालन किया जा सकता हैं। इससे उन्हें इनपुट डीलरों के साथ असीमित रूप से लेनदेन करने की सक्षमता मिलेगी तथा मंडियों, खरीद केंद्रों, आदि में अपने उत्पादन को बेचने पर अपने खातों में बिक्री से आय प्राप्त कराना संभव हो जाएगा।

3. वितरण चैनल

प्रारंभ में निम्नलिखित वितरण चैनल शुरु किए जाएंगे ताकि किसान अपने किसान क्रेडिट कार्ड के प्रयोग से किसान क्रेडिट कार्ड खाते से अपने लेनदेन प्रभावी ढंग से कर सकें।

1. एटीएम/ माइक्रो एटीएम के माध्यम से आहरण
2. बीसी के माध्यम से स्मार्ट कार्ड के उपयोग द्वारा आहरण
3. इनपुट डीलरों के माध्यम से पीओएस मशीन
4. आईएमपीएस क्षमताओं/ आईवीआर के साथ मोबाइल बैंकिंग

4. मोबाइल बैंकिंग/ अन्य चैनल :

अंतर बैंक मोबाइल भुगतान सेवा (एनपीसीआई का आईएमपीएस) सक्षमता के साथ-साथ केसीसी कार्ड/ खाता के लिए भी मोबाइल बैंकिंग कार्यसुविधा (फंक्शनेलिटी) उपलब्ध करवाई जाए ताकि बैंक के बीच निधि अंतरण के लिए तथा कृषि-निवेश वस्तुओं की खरीदारी के लिए एक अतिरिक्त सक्षमता के रूप में वणिक भुगतान लेनदेन भी कर पाने के लिए ग्राहक इस अंतर-परिचालनीय आईएमपीएस का प्रयोग कर सके।

यह मोबाइल बैंकिंग, व्यापक और सुरिक्षत स्वीकार्यता के लिए आदर्शत: अरचित पूरक डाटा (यूएसएसडी) प्लैटफार्म पर होना चाहिए। तथापि, बैंक अन्य पूर्णतः एनक्रिप्टेड माध्यमों (एप्लीकेशन आधारित या एसएमएस आधारित) में भी इसे प्रदान कर सकते हैं ताकि लेनदेन सीमाओं पर हाल की रियायतों का उपयोग हो सके। बैंक लेनेदेनों की सीमाओं संबंधी रिज़र्व बैंक के विनियमों की शर्त पर अन-एनक्रिप्टेड मोबाइल बैंकिंग सुविधा भी प्रदान सकते हैं।

यह आवश्यक है कि एसएमएस आधारित आसान सोल्यूशन का प्रयोग करने हेतु एमपीआईएन के माध्यम से प्रमाणीकरण के साथ केसीसी में लेनदेन करने के लिए मोबाइल आधारित लेनदेन प्लैटफार्म हो। सुनिश्चित पारदर्शिता और सुरक्षा के लिए ऐसे सोल्यूशन स्थानीय भाषा में आईवीआर पर एनेबल्ड होने चाहिए। सभी बैंक द्वारा जागरूकता लाते हुए तथा ग्राहको को यथोचित रूप से शिक्षत करते हुए ऐसी मोबाइल आधारित भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

बैंकों के पास उपलब्ध मौजूदा मूलभूत सुविधा के साथ सभी केसीसी धारकों को निम्नलिखित कार्ड में से किसी एक या मिले-जुले रूप में कार्ड उपलब्ध कराए जाने चाहिए :

- किसानों को सभी बैंकों के एटीएम/ माइक्रो एटीएम के माध्यम से सीमा के संचालन की सक्षमता देने वाले डेबिट कार्ड (पिन युक्त चुंबकीय पट्टी वाले कार्ड)
- चुंबकीय पट्टी और बॉयोमेट्रिक प्रमाणीकरण युक्त डेबिट कार्ड
- व्यवसाय प्रतिनिधियों, इनपुट डीलरों, व्यापारियों और मंडियों द्वारा धारित पीओएस मशीनों के माध्यम से लेनदेन हेतु स्मार्ट कार्ड
- चुंबक पट्टी तथा आईएसओ आईआईएन पिन युक्त ईएमवी कम्प्लाइंट चिप कार्ड

इसके अतिरक्त कॉल सेन्टर/ इंटर एक्टिव वॉइस रेसपांस (आईवीआर) वाले बैंक आईवीआर के माध्यम से मोबाइल पिन (एमपीआईएन) के सत्यापन के लिए बैंक से कॉल-बैक सुविधा के साथ एसएमएस आधारित मोबाइल बैंकिंग उपलब्ध करवा सकते हैं जिससे कार्ड धारकों को सुरक्षित एसएमएस आधारित मोबाइल बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो।

खंड - II. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय

पृष्ठभूमि

2.1 हमारे देश में किसी न किसी क्षेत्र में कुछ अन्तरालों पर लेकिन बार-बार होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से भारी मात्रा में जान-माल का नुकसान होता है तथा इससे जनमानस को आर्थिक रूप से भारी हानि होती है। इन प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली हानि की पूर्ति के लिए सभी एजेंसियों द्वारा बड़े पैमाने पर पुनर्वास का प्रयास करना जरूरी होता है। प्रभावित लोगों के आर्थिक पुनर्वास के लिए केंद्रीय, राज्य और स्थानीय प्राधिकरण कार्यक्रम तैयार करते हैं। लघु वित्त बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों को सौंपी गई विकासात्मक भूमिका प्राकृतिक आपदा से प्रभावित आर्थिक गतिविधियों के पुनरूज्जीवन के लिए उनके सक्रिय समर्थन की अपेक्षा रखता है।

2.2 आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपलब्ध कराने हेतु, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन फ्रेमवर्क के अनुसार - राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) नामक दो निधियां गठित की गई हैं। वर्तमान में इस फ्रेमवर्क द्वारा 12 प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं को मान्यता प्रदान की गई है, यथा चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओला-वृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट-आक्रमण और शीत लहर/ तुषारापात या पाला पड़ना। इन 12 आपदाओं में से 4 आपदाओं अर्थात् सूखा, ओला-वृष्टि, कीट-आक्रमण, शीत लहर/तुषारापात या पाला पड़ना के संबंध में कृषि मंत्रालय नोडल मंत्रालय है तथा शेष 8 आपदाओं में गृह मंत्रालय द्वारा यथोचित प्रशासनिक व्यवस्थाएं करना अपेक्षित है। सार्वभौमिक सरकार (केंद्र/ राज्य सरकार) प्रभावित व्यक्तियों को अन्य बातों के साथ-साथ इनपुट सब्सिडी के लिए प्रावधान और लघु और सीमांत किसानों सहित कृषकों को वित्तीय सहायता देने के लिए समय-समय पर ढेर सारे राहत उपाय करती है।

2.3 राहत उपलब्ध कराने में लघु वित्त बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका है ऋणकर्ताओं की उभरती आवश्यकताओं के अनुसार बैंक वर्तमान ऋणों का पुनर्निर्धारण करते हुए और नये ऋण मंजूर करते हुए योगदान देना। बैंकों को एकसमान तथा सम्मिलित कार्रवाई तेजी से करने में सक्षम बनाने के लिए चार पहलूओं अर्थात (i) संस्थागत व्यवस्था, (ii) वर्तमान ऋणों की पुनर्संरचना, (iii) नए ऋण उपलब्ध कराना और (iv) अन्य अनुषंगी राहत उपाय को शामिल करते हुए ये दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं।

संस्थागत व्यवस्था

3.1 प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए नीति/क्रियाविधि का निरुपण

प्राकृतिक आपदाओं का समय और स्थान तथा गंभीरता अप्रत्याशित होती है। अतः यह अत्यावश्यक है कि बैंकों के पास ऐसी घटनाओं के बाद की जानेवाली कार्रवाई के संबंध में निदेशक बोर्डों द्वारा विधिवत **अनुमोदित योजनाएँ (ब्लू प्रिंट)** होनी चाहिए जिससे अपेक्षित राहत और सहायता बहुत ही तेज़ी से एवं अविलंब उपलब्ध

कराई जा सके। साथ ही, अनुसूचित वाणिज्यिक / लघु वित्त बैंकों के सभी मंडल / आंचलिक कार्यालयों और शाखाओं को इन स्थायी अनुदेशों की जानकारी होनी चाहिए। जिला/राज्य प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित घोषणा किए जाने के तत्काल बाद ये स्थायी अनुदेश लागू होंगे। यह आवश्यक है कि ये अनुदेश राज्य सरकारी प्राधिकारियों तथा सभी जिलाधिकारियों के पास भी उपलब्ध हों ताकि सभी संबंधितों को पता हो कि प्रभावित क्षेत्रों में बैंक की शाखाओं द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी।

3.2 बैंकों के मंडल / आंचलिक प्रबंधकों को विवेकाधिकार

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों / लघु वित्त बैंकों के मंडल / अंचल प्रबंधकों को कतिपय विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए ताकि जिला परामर्शदात्री समिति /राज्य स्तरीय बैंकर समितियों द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कार्रवाई करने के लिए उन्हें अपने केंद्रीय कार्यालयों से नए अनुमोदन लेने की आवश्यकता न हो। अन्यों के साथ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां ऐसी विवेकाधीन शक्तियों की जरूरत होगी वे हैं वित्त के स्तर, ऋण अवधि विस्तार, मार्जिन, जमानत, ऐसे पुराने ऋण जहाँ वित्तपोषित आस्ति प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई हो, साथ ही ऐसी आस्ति (आस्तियों) के सृजन /की मरम्मत के लिए दिए गए नए ऋण के कारण उधारकर्ता की कुल देयता के मद्देनजर नए ऋण की स्वीकृति।

3.3 राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) / जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) की बैठक

3.3.1 राज्य का बड़ा भाग प्राकृतिक आपदा की चपेट में आने पर राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक बैंक को चाहिए कि वह आपदा के तुरन्त बाद बैठक आयोजित करें। इस समिति को राज्य सरकार के प्राधिकारियों के सहयोग से राहत कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए समन्वित कार्रवाई योजना तैयार करनी होगी। यदि आपदा से राज्य का केवल थोड़ा-सा भाग/ कुछ ही जिले प्रभावित हुए हों तो प्रभावित जिले (जिलों) की जिला परामर्शदात्री समिति के संयोजक को तुरन्त एक बैठक आयोजित करनी चाहिए। राज्य स्तरीय बैंकर समिति / जिला परामर्शदात्री समिति की ऐसी विशेष बैठक में प्रभावित क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाए ताकि यथोचित राहत उपायों की रूपरेखा तैयार की जा सके और उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

3.3.2 ऐसे क्षेत्रों में जहां आपदा काफी गंभीर हो राज्य स्तरीय बैंकर समिति / जिला परामर्शदात्री समिति द्वारा विशेष रूप से गठित कार्य-दल / उप समिति के द्वारा यथा निर्णीत रुप में साप्ताहिक/ पाक्षिक बैठकों में वहां आरंभ किए गए राहत उपाय (उपायों) की आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए।

3.4 राष्ट्रीय आपदा की घोषणा

3. 4.1 यह मानी हुई बात है कि प्राकृतिक आपदाओं की घोषणा करना सार्वभौमिक सरकार (केन्द्र /राज्य सरकारों) के डोमेन में आता है। राज्य सरकारों से प्राप्त इनपुट से पता चलता है कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और घोषणाएं/ प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में कोई एकसमान क्रियाविधि प्रचलन में नहीं है। इन घोषणाओं/ प्रमाणपत्रों के नाम भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं जैसे अन्नेवारी, पैसेवारी, गिर्दावारी, आदि।

इसके बावजूद, बैंकों द्वारा ऋणों के पुनर्निर्धारण को समाहित कराते हुए राहत उपाय देने के संबंध में एक सामान्य सूत्र यह बना है कि **मूल्यांकित फसल हानि 33 प्रतिशत या अधिक होनी चाहिए।** इस हानि का मूल्यांकन करने के लिए जहां कुछ राज्य फसल उपज में हानि निर्धारित करने के लिए फसल कटाई प्रयोग संचालित करते हैं वहीं अन्य राज्य आंखों देखें अनुमान/ देखी गई स्थिति का सहारा लेते हैं।

3.4.2 घोर आपदा की स्थिति, जैसे व्यापक स्तर पर बाढ, आदि, जहां अधिकांशत: यह स्पष्ट हो कि अधिकतर खड़ी फसल नष्ट हो गई है और / या भूमि एवं अन्य आस्तियों को व्यापक क्षति पहुंची है, ऐसे मामलों पर राज्य स्तरीय बैंकर समिति / जिला परामर्शदात्री समिति की आयोजित विशेष बैंठकों में राज्य सरकार / जिला प्राधिकारियों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए जिनमें संबंधित सरकारी पदाधिकारी / जिलाधिकारी फसल कटाई प्रयोग के माध्यम से 'अन्नेवारी' (फसल हानि का प्रतिशत - चाहे नाम कुछ भी दिया जाए) का अनुमान न लगाने के कारण स्पष्ट करेंगे और प्रभावित जनता को राहत उपलब्ध कराने का निर्णय आंखों देखें अनुमान / देखी गई स्थिति के आधार पर करने की आवश्यकता को स्पष्ट करेंगे।

3.4.3 तथापि, दोनों ही मामलों में जिला परामर्शदात्री समिति / राज्य स्तरीय बैंकर समिति को इन घोषणाओं पर सक्रिय कार्रवाई करने से पूर्व स्वयं को इस बात से पूर्णतया आश्वस्त कर लेना चाहिए कि फसल हानि 33 प्रतिशत या अधिक हुई है।

वर्तमान ऋणों की पुनर्संरचना/ पुनर्निर्धारण

प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आर्थिक व्यवसाय की क्षति और आर्थिक आस्तियों की हानि के कारण प्रभावित लोगों की चुकौती क्षमता बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। अतः वर्तमान ऋणों का पुनर्निर्धारण करते हुए ऋण की चुकौती में राहत देना आवश्यक हो जाता है।

4.1. कृषि ऋण : अल्पावधि उत्पादन ऋण (फसल ऋण)

4.1.1 प्राकृतिक आपदा होने के समय जो ऋण अतिदेय थे, उनको छोड़कर सभी अल्पावधि ऋण पुनर्निर्धारण के पात्र होंगे। प्राकृतिक आपदा की घटना वाले वर्ष में अल्पावधि ऋण का देय मूलधन और ब्याज को भी मीयादी ऋण में परिवर्तित किया जा सकता है।

4.1.2 आपदा की गंभीरता, आर्थिक आस्तियों की हानि और विपत्ति की गंभीरता के आधार पर पुनर्निर्धारित ऋण की चुकौती अवधि अलग-अलग हो सकती है। यदि हानि 33 प्रतिशत और 50 प्रतिशत के बीच है तो अधिकतम 2 वर्ष (1 वर्ष की अधिस्थगन अवधि सहित) तक की चुकौती अवधि की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि फसल हानि 50 प्रतिशत या उससे अधिक है तो चुकौती अवधि अधिकतम 5 वर्ष (1 वर्ष की अधिस्थगन अवधि सहित) तक बढ़ाई जा सकती है।

4.1.3 सभी पुनर्निर्धारित ऋण खातों में अधिस्थगन अवधि **कम से कम एक वर्ष** होनी चाहिए। बैंकों को ऐसे पुनर्निर्धारित ऋणों पर अतिरिक्त संपार्श्विक जमानत की मांग नहीं करनी चाहिए।

4.2 कृषि ऋण- दीर्घावधि (निवेश) ऋण

4.2.1 वर्तमान मीयादी ऋण की किस्तों का उधारकर्ता की चुकौती क्षमता और प्राकृतिक आपदा के निम्नलिखित स्वरूप को ध्यान में रखकर पुनर्निर्धारण करना होगा अर्थात्

4.2.1.1 ऐसी प्राकृतिक आपदाएं जिनके कारण केवल उस वर्ष की फसल को ही क्षति पहुंची हो और उत्पादक आस्तियों को क्षति नहीं पहुंची हो।

4.2.1.2 ऐसी प्राकृतिक आपदाएं जिनसे उत्पादक आस्तियों को आंशिक रूप से अथवा पूर्णतया क्षति पहुंची हो और उधारकर्ताओं को नये ऋण की जरूरत हो।

4.2.1.3 उपर्युक्त (4.2.1.1) श्रेणी में बताई गई प्राकृतिक आपदा के संबंध में बैंक प्राकृतिक आपदा के वर्ष के दौरान किस्त के भुगतान का पुनर्निर्धारण कर सकते हैं और ऋण अवधि को एक वर्ष बढ़ा सकते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत पूर्ववर्ती वर्षों में जानबूझकर न चुकाई गई किस्तें पुनर्निर्धारण की पात्र नहीं होंगी। उधारकर्ताओं द्वारा ब्याज भुगतान को भी बैंक आस्थगित कर सकते हैं।

4.2.1.4 श्रेणी (4.2.1.2) के संबंध में अर्थात जहां उधारकर्ताओं की आस्तियों को अंशत: / पूर्णत: क्षति पहुंची हो वहां ऋण अवधि बढ़ाते हुए पुनर्निर्धारण करने का निर्णय उधारकर्ता की समग्र चुकौती क्षमता की तुलना में उसकी कुल देयता (पुराने मीयादी ऋण, पुनर्निर्धारित फसल ऋण, यदि कोई हो और दिया जा रहा नया फसल ऋण / मीयादी ऋण) में से सरकारी एजेंसियों से प्राप्त सब्सिडी, बीमा योजनाओं, आदि के अंतर्गत उपलब्ध क्षतिपूर्ति को घटाते हुए किया जा सकता है। जहां पुनर्निर्धारित / नये मीयादी ऋण की कुल चुकौती अवधि मामला-दर-मामला आधार पर अलग-अलग होगी, वहीं सामान्यतया यह 5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4.3 अन्य ऋण

4.3.1 राज्य स्तरीय बैंकर समिति / जिला परामर्शदात्री समिति द्वारा आपदा की गंभीरता के आधार पर अन्य सभी ऋणों (अर्थात ऊपर उल्लिखित कृषि ऋणों के अलावा) जैसे सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए दिए जाने वाले और ग्रामीण कारीगरों, व्यापारियों, माइक्रो/लघु औद्योगिक यूनिटों अथवा अत्यधिक गंभीर स्थितियों में मध्यम उद्यमों को दिए जानेवाले ऋण के मामलों में सामान्य पुनर्निर्धारण जरूरी है अथवा नहीं इसके बारे में निर्णय किए जाने की आवश्यकता है। यदि ऐसा निर्णय लिया जाता है तो जहां सभी ऋणों की वसूली विनिर्दिष्ट अवधि के लिए स्थगित की जानी चाहिए वहीं बैंकों को ऐसे प्रत्येक मामले में अलग-अलग उधारकर्ता की आवश्यकता का निर्धारण करना होगा और उसके खाते के स्वरूप, चुकौती क्षमता और नये ऋणों की आवश्यकता के आधार पर अलग-अलग बैंक द्वारा यथोचित निर्णय लिया जाना चाहिए।

4.3.2 किसी यूनिट को उसके पुनर्वास हेतु ऋण देते समय बैंकों के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बात यह होगी कि पुनर्वास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के बाद उद्यम की व्यवहार्यता कितनी रहेगी।

4.4 आस्ति वर्गीकरण

पुनर्संरचित ऋणों के आस्ति वर्गीकरण की स्थिति निम्नानुसार होगी :

4.4.1 अल्पावधि ऋणों तथा दीर्घावधि ऋणों के पुनर्निर्धारित अंश को चालू देय राशियां माना जाए तथा उन्हें अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद इन नए मीयादी ऋणों के आस्ति वर्गीकरण संशोधित शर्तों से नियंत्रित होंगे। इस पर भी, बैंकों से अपेक्षित है कि वे ऐसे पुनर्निर्धारित मानक अग्रिमों के लिए बैंकिंग विनियमन विभाग[7] द्वारा समय-समय पर निर्धारित रूप में उच्चतर प्रावधान करें।

4.4.2. पुनर्निर्धारित न की गई शेष देय राशि के आस्ति वर्गीकरण पर मूल शर्तें और इसकी स्वीकृति की शर्तें यथावत लागू रहेंगी। इसके फलस्वरूप, उधारदाता बैंक द्वारा उधारकर्ता से प्राप्य राशि को विभिन्न आस्ति वर्गीकरण श्रेणियों जैसे "मानक, अवमानक, संदिग्ध और हानि" के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।

4.4.3. यदि कोई अतिरिक्त वित्त हो तो उन्हें "मानक आस्ति" के रूप में माना जाएगा और भविष्य में उसके आस्ति वर्गीकरण पर स्वीकृति की शर्तें लागू होंगी।

4.4.4. यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने में बैंक समुचित रूप से सक्रिय हैं, प्राकृतिक आपदा के दिन को पुनर्निर्धारित खाते के आस्ति वर्गीकरण का **लाभ** केवल तभी उपलब्ध हो सकेगा यदि प्राकृतिक आपदा की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पुनर्निर्धारण का कार्य पूरा किया गया हो। घोर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में जब राज्य स्तरीय बैंकर समिति / जिला परामर्शदात्री समिति के विचार में बैंकिंग क्षेत्र के लिए सभी ऋणों को पुनर्निर्धारित करने के लिए उक्त अवधि पर्याप्त प्रतीत न होती हो तब उन्हें इस अवधि को बढ़ाये जाने के कारण बताते हुए रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से तत्काल संपर्क करना चाहिए। इस पर प्रत्येक मामले के गुणदोषों के आधार पर विचार किया जाएगा।

4.4.5 वे खाते, जिनका प्राकृतिक आपदाओं के कारण दूसरी बार या उससे अधिक बार पुनर्निर्धारण हुआ हों, पुनर्संरचना के बाद उसी आस्ति वर्गीकरण संवर्ग में बने रहेंगे। तदनुसार, पुनर्निर्धारित मानक आस्ति को प्राकृतिक आपदा के कारण बाद में पुनर्निर्धारित किए जाने की आवश्यकता होने पर उसे दूसरे पुनर्निर्धारण का मामला नहीं माना जाएगा अर्थात मानक आस्ति वर्गीकरण को बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी। तथापि, पुनर्निर्धारण संबंधी अन्य सभी मानदंड लागू होंगे।

4.5 बीमा से प्राप्त रकम को उपयोग में लाना

4.5.1 यद्यपि ऋणों के पुनर्निर्धारण से संबंधित उपर्युक्त उपाय किसानों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से हैं, वहीं सिद्धांतत: बीमा से प्राप्त रकम द्वारा उनकी हानियों की क्षतिपूर्ति हो जानी चाहिए। **कृषि, सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग** द्वारा जारी आदेशों के अनुसार प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) खरीफ 2016 से वर्तमान योजनाओं जैसे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) का स्थान लेगी।

---

[7] आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों पर बैंकिंग विनियमन विभाग के मास्टर निदेश

इस योजना के अंतर्गत सभी कृषि ऋणों को विनिर्दिष्ट उदाहरणों में फसलोत्तर जोखिमों सहित फसल चक्र के सभी चरणों के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान की गयी है। फसल बीमा के लिए बैंकों द्वारा युनिफाईड पोर्टल जो www.agri-insurance.gov.in पर उपलब्ध है में किसानों के ब्यौरों की प्रविष्टि करनी होगी ताकि बीमाकृत फसल, कटौती किए गए प्रीमियम, आदि की व्याप्ति का मूल्यांकन करने में सुविधा हो सके।

4.5.2 प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में ऋणों का पुनर्निर्धारण करते समय बैंकों को यदि बीमा कंपनी से कोई राशि प्राप्य हो तो बीमा की आय को भी हिसाब में लेना चाहिए। जहां उधारकर्ताओं को नया ऋण स्वीकृत किया गया है, ऐसे मामलों में उन्हें इस आय को 'पुनर्निर्धारित खातों' में समायोजित कर लेना चाहिए। तथापि, उन मामलों में जहां दावे की प्राप्ति निश्चित है, बैंक सहानुभूति पूर्वक कार्य करते हुए बीमे से संबंधित दावों की प्राप्ति की प्रतीक्षा किए बिना पुनर्संरचना पर विचार कर सकते हैं तथा नए ऋण स्वीकृत कर सकते हैं।

नए ऋण प्रदान करना

5.1 नए ऋण मंजूर करना

5.1.1 एक बार राज्य स्तरीय बैंकर समिति / जिला परामर्शदात्री समिति द्वारा ऋणों के पुनर्निर्धारण का निर्णय ले लिए जाने पर अल्पावधि ऋणों के ऐसे परिवर्तन किए जाने तक, बैंक, प्रभावित किसानों को नया फसल ऋण दे सकते हैं जो वर्तमान दिशानिर्देशों[8] के अनुसार उस फसल हेतु वित्त के स्तर और कृषि-जोत पर आधारित होगा।

5.1.2 कृषि और संबद्ध गतिविधियों (पॉल्ट्री, मत्स्यपालन, पशुपालन, आदि) के संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रयोजनों, जैसे वर्तमान आर्थिक आस्ति (आस्तियों) की मरम्मत और/ अथवा नयी आस्ति (आस्तियों) के क्रय के लिए दीर्घावधि ऋणों हेतु भी बैंक सहायता की **आवश्यकता** होगी। इसी प्रकार, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्र में ग्रामीण कारीगरों, स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों, माइक्रो और लघु औद्योगिक यूनिटों, आदि को अपनी आजीविका को बनाए रखने के लिए नए क्रेडिट की आवश्यकता पड़ सकती है। बैंक स्वयं ही अन्य बातों के साथ-साथ, प्रभावित उधारकर्ताओं की ऋण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दिए जाने वाले नए ऋण का आकलन कर ऋण की मात्रा निर्धारित कर सकते हैं और ऋण मंजूर करने के लिए यथोचित क्रियाविधि का पालन कर सकते हैं।

5.1.3. बैंक वर्तमान उधारकर्ताओं को बिना किसी संपार्श्विक जमानत के ₹ 10,000 तक के खपत ऋण भी मंजूर कर सकते हैं। तथापि, उक्त सीमा को बैंक के विवेक पर ₹ 10,000/- से अधिक भी किया जा सकता है।

---

[8]किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर मास्टर परिपत्र www.rbi.org.in पर उपलब्ध है

5.2 निबंधन एवं शर्तें

5.2.1 गारंटी, जमानत और मार्जिन

5.2.1.1 व्यक्तिगत गारंटी न होने के कारण से ऋण देने से मना नहीं किया जाना चाहिए। यदि बाढ़ से हुई क्षति अथवा विनाश के कारण बैंक की मौजूदा जमानत कम हो गई हो तो केवल अतिरिक्त नई जमानत न होने के कारण से सहायता के लिए मना नहीं किया जाएगा। जमानत (मौजूदा तथा नए ऋण से प्राप्त की जानेवाली आस्ति) का मूल्य ऋण की राशि से कम होने पर भी नया ऋण प्रदान किया जाना चाहिए। नए ऋणों के लिए सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया जाना चाहिए।

5.2.1.2 यदि व्यक्तिगत जमानत / फसल को दृष्टिबंधक रख कर फसल ऋण (जिसे मीयादी ऋण में परिवर्तित किया गया है) पहले दिया गया हो, तथा उधारकर्ता परिवर्तित ऋण के लिए जमानत के रूप में भूमि का अधिकार (चार्ज) / बंधक प्रस्तुत करने में असमर्थ हो तो केवल भूमि को जमानत के रूप में प्रस्तुत न कर पाने की उसकी असमर्थता के आधार पर उन्हें परिवर्तन सुविधा से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। यदि उधारकर्ता भूमि के बंधक / अधिकार (चार्ज) की जमानत पर पहले ही एक मीयादी ऋण ले चुका है, तो बैंक को परिवर्तित मीयादी ऋण के लिए द्वितीय चार्ज से संतुष्ट हो जाना चाहिए। परिवर्तन सुविधाएँ प्रदान करने हेतु बैंक तृतीय पक्ष की गारंटियों पर जोर न दें।

5.2.1.3 यदि भूमि जमानत के रूप में रखी गई हो, तो मूल-टाइटल रिकार्ड न होने पर उन किसानों, जिनके विलेख तथा ऐसे पंजीकृत बंटाईदार जिनको जारी पंजीयन प्रमाणपत्रों के रूप में टाइटल, के सबूत गुम हो गए हों, को वित्तपोषण करने हेतु राजस्व विभाग के प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र स्वीकार किये जा सकते हैं।

5.2.1.4 मार्जिन आवश्यकताओं में छूट दी जाए या फिर संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान / सब्सिडी को मार्जिन समझा जाये।

5.3 ब्याज दर

ब्याज की दरें भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार होंगी। तथापि, बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि उधारकर्ताओं की कठिनाइयों पर वे अपने विवेकाधीन दायरे में उदारता का रूख अपनाएं तथा आपदा से प्रभावित लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्वक पेश आएँ। चूकवाली वर्तमान बकाया राशि के संबंध में कोई दण्डात्मक ब्याज नहीं लगाया जाएगा। बैंकों को चाहिए कि ब्याज प्रभारों के चक्रवृद्धि आकलन को समुचित रूप से स्थगित करें। बैंक कोई दण्डात्मक ब्याज न लगाएं तथा परिवर्तित / पुनर्निर्धारित ऋणों के संबंध में यदि कोई दण्डात्मक ब्याज लगाया जा चुका हो तो उसमें छूट देने पर विचार करें। प्राकृतिक आपदा के स्वरूप एवं गंभीरता के आधार पर राज्य स्तरीय बैंकर समिति / जिला परामर्शदात्री समिति को उधारकर्ता को दी जा सकने वाली ब्याज दर रियायत पर विचार करना चाहिए ताकि राहत प्रदान करने के दृष्टिकोण के बारे में बैंकों के बीच एकरूपता हो।

अन्य अनुषंगी राहत उपाय

6.1 अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड - रियायत

यह मानना होगा कि बडी आपदा में विस्थापित अथवा प्रतिकूल रूप से प्रभावित अधिकांश व्यक्तियों को अपने सामान्य पहचान संबंधी तथा व्यक्तिगत रिकार्ड मिल नहीं पाते हैं। ऐसे मामलों में फोटो एवं बैंक अधिकारियों

के समक्ष हस्ताक्षर अथवा अंगूठे के निशान के आधार पर छोटा खाता खोला जा सकता हैं। उपर्युक्त अनुदेश उन मामलों पर लागू होंगे जहां खाते में शेष ₹ 50,000/- अथवा प्रदान की गई राहत की राशि (यदि अधिक हो) से अधिक न हो और वर्ष के दौरान खाते में कुल जमा ₹ 1,00,000/- अथवा प्रदत्त राहत राशि (यदि अधिक हो) से अधिक न हो।

6.2 बैंकिंग सेवा तक पहुँच

6.2.1 ऐसे क्षेत्र जहां बैंक शाखाएँ प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुई हैं वहां बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय को सूचित करते हुए अस्थायी परिसर से परिचालन कर सकते हैं। अस्थायी परिसर में 30 दिन से अधिक समय बने रहने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से विशेष अनुमति प्राप्त की जाए। बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अनुषंगी कार्यालय, विस्तार काउंटर स्थापित करके या मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाएं तथा उसकी सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक को भी दी जाए।

6.2.2 प्रभावित लोगों की तत्काल नकदी आवश्यकता को पूरा करने हेतु एटीएम के कार्य को फिर से शीघ्र चालू करने या ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था बनाने को उचित महत्व दिया जाए।

6.2.3 बैंकों द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के हालात सुधारने के लिए अपने विवेकानुसार किए जाने वाले अन्य उपाय हो सकते हैं - एटीएम शुल्क की माफी देना, एटीएम आहरण सीमा बढ़ाना, ओवरड्राफ्ट शुल्क की माफी देना /सावधि जमाराशियों पर अवधिपूर्व आहरण संबंधी दंड से छूट देना /क्रेडिट कार्ड / अन्य ऋण किस्तों के भुगतान के लिए विलंब शुल्क की माफी देना और क्रेडिट कार्ड धारियों को अपनी बकाया शेष राशि को 1-2 वर्षों में भुगतान योग्य ईएमआई में परिवर्तित करने का विकल्प देना। इसके अतिरिक्त, प्रभावित व्यक्तियों को हुई कठिनाई को देखते हुए सामान्य ब्याज को छोड़कर किसान ऋण खाते में नामे डाले गए सभी प्रभारों की माफी दी जा सकती है।

दंगे और गड़बड़ी : दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता

7. दंगे और गड़बड़ी की स्थिति में दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता

7.1 भारतीय रिज़र्व बैंक जब भी बैंकों को दंगे / गड़बड़ी से प्रभावित लोगों को पुनर्वास सहायता प्रदान करने के लिए कहे तब इस प्रयोजनार्थ बैंकों द्वारा उक्त दिशानिर्देशों का व्यापक रूप से पालन किया जाए। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल सही व्यक्ति, जो कि राज्य प्रशासन द्वारा यथोचित रूप से दंगे / गड़बड़ी से प्रभावित व्यक्तियों के रूप में पहचाने गये हो, को ही दिशानिर्देशों के अनुसार सहायता उपलब्ध करवायी जाती है।

7.2. राज्य सरकार से अनुरोध / सूचना प्राप्त होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को सूचना जारी किए जाने के बाद बैंकों द्वारा उनकी शाखाओं को अनुदेश जारी किए जाते हैं। इस कारण दंगों से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने में सामान्यतः विलंब हो जाता है। प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि दंगे / गड़बड़ी होने पर जिलाधिकारी अग्रणी बैंक अधिकारी को जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक, यदि आवश्यक हो, बुलाने के लिए तथा दंगों / गड़बड़ी से प्रभावित क्षेत्रों में जान-माल की हानि पर एक रिपोर्ट जिला परामर्शदात्री समिति को प्रस्तुत करने हेतु कह सकता है। यदि जिला परामर्शदात्री समिति संतुष्ट होती है कि दंगे / गड़बड़ी के कारण जान-माल की व्यापक हानि हुई है, तो दंगे /

गड़बड़ी से प्रभावित लोगों को उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार राहत प्रदान की जाए। कुछ मामलों में, जहाँ जिला परामर्शदात्री समितियाँ नहीं है, जिलाधिकारी राज्य के राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक को प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने हेतु विचार करने के लिए बैंकरों की एक बैठक बुलाने के लिए अनुरोध कर सकता है। जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा उस पर जिला परामर्शदात्री समिति / राज्य स्तरीय बैंकर समिति द्वारा लिये गये निर्णय को रिकार्ड किया जाए और उसे बैठक के कार्य-विवरण में शामिल किया जाए। बैठक की कार्यवाही की एक प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाए।

खंड–III. कृषि को ऋण प्रवाह – कृषि ऋण – मार्जिन/ जमानत आवश्यकताओं की छूट

कृषि, विशेषत: छोटे उधारकर्ताओं को ऋण प्रवाह के महत्व को ध्यान में रखते हुए बैंक ₹ 1 लाख तक के कृषि ऋण और ₹ 5 लाख तक के कृषि व्यवसाय और एग्री-क्लीनिक के मामले में मार्जिन/ जमानत आवश्यकताओं में छूट दे सकते हैं।

अध्याय VII: अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत सहभागिता

लघु वित्त बैंकों को उनके संबंधित स्थानों में एसएलबीसी बैठकों में आमंत्रित किया जा सकता है। वर्तमान वर्ष (2017-18) में इन बैठकों में वे केवल आमंत्रित होंगे तथा ऋण आयोजना कार्यक्रम में उनकी भूमिका नहीं होगी।

वित्तीय वर्ष 2018-19 से लघु वित्त बैंक ऋण आयोजना कार्यक्रम में भाग लेंगे। तदनुसार, वे 2018-19 की पहली तिमाही से अपने संबंधित स्थानों में अग्रणी बैंक योजना के विभिन्न मंचों अर्थात एसएलबीसी, डीएलसीसी/ डीएलआरसी और बीएलबीसी में नियमित सदस्य के रूप में सहभागिता करेंगे।

लघु वित्त बैंक, अग्रणी बैंक योजना के कामकाज तथा विभिन्न मंचों का ढांचा समझने के लिए अग्रणी बैंक योजना पर दिनांक 03 जुलाई 2017 का मास्टर परिपत्र देख सकते हैं जो रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

अध्याय VIII: सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं

अनुसूचित जाति (अजा)/ अनुसूचित जनजाति (अजजा) और अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं

लघु वित्त बैंक वर्ष 2018-19 से अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत ऋण आयोजना अभ्यास में भाग लेंगे। लघु वित्त बैंकों पर एनआरएलएम, एनयूएलएम, अनुसूचित जाति (अजा)/ अनुसूचित जनजाति (अजजा) और अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाओं से संबंधित निम्नलिखित मास्टर परिपत्र 01 अप्रैल 2018 से पूर्णतया लागू होंगे।

i. मास्टर परिपत्र - दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई - एनआरएलएम) भारिबैं/2017-18/10-विसविवि.जीएसएसडी.केंका.बीसी.सं.04/09.01.01/2017-18, दिनांक 01 जुलाई 2017

ii. मास्टर परिपत्र - दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई - एनयूएलएम) भारिबैं/2017-18/5-विसविवि.जीएसएसडी.केंका.बीसी.सं.03/09.16.03/2017-18, दिनांक 01 जुलाई 2017

iii. मास्टर परिपत्र - अनुसूचित जाति (अजा) और अनुसूचित जनजाति (अजजा) को ऋण सुविधाएँ - भारिबैं/2017-18/7-विसविवि.केंका.जीएसएसडी.बीसी.सं.06/09.09.001/2017-18, दिनांक 01 जुलाई 2017

iv. मास्टर परिपत्र - अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं - भारिबैं/2017-2018/6-विसविवि.जीएसएसडी.बीसी.सं.05/09.10.01/2017-18, दिनांक 01 जुलाई 2017

लघु वित्त बैंक योजनाओं तथा उनके अंतर्गत निर्धारित रिपोर्टिंग प्रणाली समझने के लिए उपरोक्त मास्टर परिपत्र देखें । मास्टर परिपत्र रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक के तहत उपलब्ध हैं।

https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasterCirculardetails.aspx?did=343